परिचय 3
खंड – I 3
1.1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन 3
1.2. अनुमेयता 3
1.3. प्रयोजन 3
खंड – II 3
2.1. सामान्य दिशानिदेश 3
2.2. अभिगम कसौटियां 4
खंड – III 6
3.1. केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों हेतु दिशानिदेश 6
3.2. विकेन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों की सदस्यता हेतु दिशानिदेश 7
खंड – IV 8
4.1 उप-सदस्यता सुविधा 8
4.2 केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों की उप-सदस्यता : 8
4.3 विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की उप सदस्यता 9
खंड – V 10
5. सदस्यता की समीक्षा 10
परिशिष्ट 1 – कवरिंग लैटर और आवेदन प्रपत्र (केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियां) 11
अनुलग्नक-I: चालू खाता आवेदन प्रपत्र 16
अनुलग्नक-II: एसजीएल, आईडीएल-एसजीएल आवेदन प्रपत्र 18
अनुलग्नक III: एनडीएस-ओएम और एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता 26
अनुलग्नक-IV: इनफिनेट सदस्यता हेतु आवेदन का फार्म 39
अनुलग्नक-V: आरटीजीएस सदस्यता हेतु आवेदन का फार्म 42
अनुलग्नक VI: एनईएफटी सदस्यता हेतु आवेदन का फार्म 60
परिशिष्ट 2 – कवरिंग लैटर और आवेदन फार्म (विकेन्द्रित भुगतान प्रणाली) 62
अनुलग्नक-I: चालू खाते हेतु आवेदन प्रपत्र 65
अनुलग्नक क 67
निष्प्रभावित परिपत्रों की सूची, क्योंकि इनकी विषयवस्तु को मास्टर निदेश में समाहित है। 67

परिचय

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51 वां अधिनियम) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस तथ्य से संतुष्ट है कि भुगतान प्रणाली का नियमन या प्रबंधन या भुगतान प्रणालियों का परिचालन करने के लिए सक्षम करने के प्रयोजन से, और लोक हित में ऐसा करना अनिवार्य और समयोचित होने के कारण निम्नलिखित निदेश जारी करता है :

खंड – I

1.1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

1.1.1 इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियां) निदेश, 2017 कहा जाएगा।

1.1.2 ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

1.2. अनुमेयता

इन निदेशों के प्रावधान भारत में परिचालन कर रहे सभी अनुसूचित/लाइसेन्सधारी बैंकों और प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पीएसपी) के लिए अनुमेय होगा, जो भारत में भुगतान प्रणालियों में सहभागिता के इच्छुक हैं।

1.3. प्रयोजन

अनुसूचित/लाइसेन्सधारी बैंकों / प्राइमरी डीलरों / प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के लिए व्यवस्था प्रदान करने के प्रयोजन से इन निदेशों को जारी किया जा रहा है ताकि वे भुगतान प्रणालियों के लिए सदस्यता हेतु आवेदन कर सकें। इन निदेशों का यह भी लक्ष्य है कि भुगतान प्रणालियों से संबद्ध विभिन्न अपेक्षाओं हेतु आवेदक के लिए समेकित अपेक्षाओं का एक सेट प्रदान किया जाए। भुगतान सेवाओं की निरापदता, सुरक्षा और सत्यनिष्ठा के लिए इस प्रकार के अभिगम को कतिपय न्यूनतम मानकों के तहत होना चाहिए।

खंड – II

2.1. सामान्य दिशानिदेश

2.1.1 अभिगम कसौटियों के दो सेट रहेंगे यथा – एक तो केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों हेतु और दूसरा विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों के लिए। केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली और नैशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्णय किए अनुसार किसी अन्य प्रणाली को शामिल किया जाएगा। विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों में भारतीय रिज़र्व बैंक (चेक ट्रन्केशन प्रणाली (सीटीएस) केन्द्रों)) के साथ-साथ अन्य बैंकों (एक्सप्रेस चेक क्लीयरिंग प्रणाली (ईसीसीएस) केन्द्रों)) द्वारा प्रबंधित क्लीयरिंग हाउसों के साथ-साथ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णीत किसी अन्य प्रणाली को शामिल किया जाएगा।

2.1.2 केन्द्रीकृत और विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की सदस्यता सभी अनुसूचित/लाइसेन्सधारी बैंकों के लिए खुली रहेगी। ये सभी ग्राहक, अंतर बैंक, स्वयं के खाते में अंतरण (ओटीए) और दिवसगत चलनिधि (आईडीएल) संव्यवहार सहित आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता के पात्र होंगे। बिना लाइसेन्स वाले बैंक उप-सदस्यों के रूप में विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों में सहभागिता कर सकते हैं। सहकारी समितियां किसी भी भुगतान प्रणाली में सीधी सदस्यता या उप-सदस्यता किसी भी रूप में नहीं आ सकती हैं।

2.1.3 अधिसूचित संस्थान जैसे कि डाकघर बचत बैंक विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों में उसी प्रकार सदस्यता के पात्र होंगे जैसे अब तक रहे हैं।

2.1.4 प्राइमरी डीलर टाइप-बी आरटीजीएस सदस्यता के पात्र होंगे जिसमें अंतर-बैंक, ओटीए और आइडीएल संव्यवहार शामिल हैं, जिस पर संबंधित नियामक विभाग के विद्यमान विनियम और संस्तुतियां लागू होंगी। गैर-बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के बीच यद्यपि पूर्वदत्त भुगतान युक्तियां (पीपीआई) जारीकर्ता और श्वेत-पट्टिका वाले एटीएम परिचालक आरटीजीएस में टाइप-डी सदस्यता के पात्र होंगे जिसमें ग्राहक/अंतर बैंक संव्यवहार, कार्ड नेटवर्क आरटीजीएस में टाइप-सी सदस्यता के पात्र होंगे जिसमें बहुपक्षीय निवल निपटान बैच (एमएनएसबी) संव्यवहार और ओएटी शामिल हैं। पीपीआई जारीकर्ता एनईएफटी की सदस्यता के लिए भी पात्र होंगे। अंतर-बैंक संव्यवहारों में गैर-बैंकों के साथ संव्यवहार भी शामिल हैं। क्लीयरिंग संगठनों / अन्य प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अलग-अलग मामलों के आधार पर सदस्यता अनुरोधों पर विचार करेगा।

2.1.5 विभिन्न भुगतान प्रणालियों में सदस्यता हेतु अभिगम कसौटियों की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी।

2.2. अभिगम कसौटियां

2.2.1 केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों हेतु आवेदन के समय एकसमान अभिगम कसौटियां निम्नानुसार हैं :

(अ) बैंक

i. 9% न्यूनतम सीआरएआर (लेखापरीक्षित नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार);
ii. 5% से कम निवल एनपीए (लेखापरीक्षित नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार);
iii. न्यूनतम मालियत रु.25 करोड़ ;
iv. आवेदक के पास कोर बैंकिंग समाधान/केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग प्रणाली की उपलब्धता;
v. पर्याप्त तकनीकी सामर्थ्य और सिस्टम की तत्परता साइबर सहनीयता सहित;
vi. भुगतान प्रणाली डाटा के भंडारण पर अनुदेशों का अनुपालन; और
vii. संबंधित नियामक /पर्यवेक्षक विभाग की संस्तुतियां

(आ) प्राधिकृत गैर बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता :

i. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत भुगतान प्रणाली स्थापित और संचालित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना;

ii. प्राधिकार प्रदान करने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मालियत या रु.25 करोड़, जो भी उच्चतर हो;

iii. भारत में कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के तहत भारत में निगमन। इस अपेक्षा को पूरा नहीं करने वाले प्रतिष्ठान अपनी भारतीय अनुषंगी/सहायक कम्पनी को आरबीआई के साथ वैध समझौता करने का अधिकार प्रदान करेंगे।

iv. केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग प्रणाली का कार्यान्वयन;

v. पर्याप्त तकनीकी सामर्थ्य और सिस्टम की तैयारी, साइबर सहनीयता सहित;

vi. भुगतान प्रणाली डाटा भंडारण पर अनुदेशों का अनुपालन; और

vii. संबंधित नियामक /पर्यवेक्षी विभाग की संस्तुतियां।

2.2.2 विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों हेतु आवेदन के समय एकसमान अभिगम कसौटियां निम्नानुसार हैं

i. 9% न्यूनतम सीआरएआर (लेखापरीक्षित नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार);

ii. 5% से कम निवल एनपीए (लेखापरीक्षित नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार);

iii. आवेदक के पास कोर बैंकिंग समाधान/केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग प्रणाली की उपलब्धता; और

iv. संबंधित नियामक /पर्यवेक्षी विभाग की संस्तुतियां।

2.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक / पर्यवेक्षी विभाग से संस्तुतियां अलग से ली जाए और इन्हें आवेदक प्रतिष्ठान को आवेदन प्रस्तुत करने समय साथ में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

2.2.4 यदि बैंक / प्राइमरी डीलर / प्राधिकृत गैर-बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं की वित्तीय स्थिति में उक्त अनुच्छेद 2.2.1 और 2.2.2 में बताई गई न्यूनतम सीमा की तुलना में किसी प्रकार की गिरावट होने के मामले में संबंधित नियामक / पर्यवेक्षी विभाग की संस्तुति पर भुगतान प्रणालियों में बैंकों / प्राइमरी डीलरों / प्राधिकृत गैर बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

2.2.5 लाइसेन्सधारी नए बैंकों के लिए नियामक / पर्यवेक्षी विभाग से अलग से संस्तुति नहीं लेनी होगी, यदि बैंक ने बैंक के तौर पर सेवाएं देना आरंभ करने से पहले ही केन्द्रीकृत / विकेन्द्रित भुगतान प्रणाली के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो।

खंड – III

3.1. केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों हेतु दिशानिदेश

3.1.1 केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों की सदस्यता के लिए सभी आवेदनों को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई – 400001 के पास प्रस्तुत किया जाए।

3.1.2 यह आवेदन अनुलग्नकों सहित परिशिष्ट–1 – केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस्यता हेतु कवरिंग पत्र' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए।

3.1.3 उक्त अनुच्छेद 2.2.1 में उल्लिखित अभिगम कसौटियां पूरी करने के साथ ही वह प्रतिष्ठान बिना कोई अतिरिक्त अपेक्षा/निर्धारण के बिना साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक में एक चालू खाता, अनुषंगी समान्य बही (एसजीएल), आंतर-दिवसीय चलनिधि एसजीएल (आईडीएल – एसजीएल) खाता (प्राधिकृत गैर बैंक पीएसपी) खोलने, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम आर्डर मैचिंग (एनडीएस – ओएम) सदस्यता सुविधा का भी पात्र हो जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठान जिनके पास ऐसे खाते / सदस्यता पहले से ही हैं उन्हें इसका उल्लेख केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों की सदस्यता हेतु आवेदन करने समय करना होगा। एनईएफटी की सदस्यता आरटीजीएस के साथ संपृक्त है अर्थात केवल आरटीजीएस सदस्य ही एनईएफटी में शामिल होने के पात्र होंगे।

3.1.4 जिन प्रतिष्ठानों के पास अनुच्छेद 3.1.3 में उपरोल्लिखित खाते / सदस्यता नहीं है उन्हें केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों का आवेदन करते समय इनके लिए भी आवेदन करना होगा क्योंकि यह तो आरटीजीएस/एनईएफटी की सदस्यता को परिचालन योग्य बनाने के लिए पूर्वापेक्षा है। गैर बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता रिज़र्व बैंक से आईडीएल सुविधा लेने के पात्र नहीं होंगे। सीपीएस के लिए अभिगम चाहने वाले प्रतिष्ठानों को एक टाइमलाइन दी जाएगी जैसा कि सीपीएस सदस्यता के आरंभिक अनुमोदन में निर्दिष्ट है ताकि सीपीएस अभिगम को परिचालनीय बनाया जा सके। यदि प्रतिष्ठान इस अवधि में सीपीएस में सहभागिता सुनिश्चित करने में अक्षम है जो इसे अनुमोदन का समय बढ़ाने हेतु आवेदन करना होगा। डीपीएसएस अनुरोध की असलियत को निर्धारित करेगा और आरंभिक अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से एक साल तक के लिए समय-विस्तार देगा।

3.1.5 चालू खाते, एसजीएल/आईडीएल–एसजीएल खाते, एनडीएस–ओएम / सीएएलएल सदस्यता, भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इनफिनेट) सदस्यता का परिचालन किया जाना उस प्रतिष्ठान को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रलेखन अपेक्षाओं और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

3.1.6 जिन प्रतिष्ठानों को केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली के लिए विशिष्ट अभिगम नहीं चाहिए लेकिन केवल चालू खाता, एसजीएल/सहबद्ध एसजीएस (सीएसजीएस) खाता खोलना है, एनडीएस–ओएम / सीएएलएल सदस्यता लेनी है उन्हें डीपीएसएस से सम्पर्क करने की जरूरत नहीं है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय / भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित केन्द्रीय कार्यालय विभाग से सीधे ही सम्पर्क कर सकते हैं।

3.1.7 केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों को आरटीजीएस सिस्टम विनियमों, एनईएफटी प्रक्रियागत दिशानिदेशों, समय-समय पर जारी अनुदेशों से नियंत्रित/मार्गदर्शित किया जाना जारी रहेगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://rbi.org.in/Scripts/Bs_viewRTGS.aspx
https://rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2346
https://rbi.org.in/scripts/FS_Notification.aspx?fn=9

3.2. विकेन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों की सदस्यता हेतु दिशानिदेश

3.2.1 विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की सदस्यता के लिए सभी आवेदनों को उन क्लीयरिंग हाउसों के संबंधित प्रेसिडेन्ट को प्रस्तुत की जाए जहां पर वह प्रतिष्ठान सहभागिता करने का इच्छुक है।

3.2.2 यह आवेदन अनुलग्नकों सहित परिशिष्ट – 2 में दिए गए प्रपत्र – 'विकेन्द्रित भुगतान प्रणाली की सदस्यता के लिए कवरिंग पत्र' में प्रस्तुत किया जाए।

3.2.3 क्लीयरिंग हाउस में किसी प्रतिष्ठान का प्रवेश उस प्रतिष्ठान द्वारा बैंकर समाशोधन गृह के लिए एकसमान विनियमों और नियमों, प्रक्रियागत दिशानिदेशों और इस बारे में समय-समय पर जारी अनुदेशों में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त पर होगा, इन नियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर दिया गया है:

https://rbi.org.in/Scripts/OccasionalPublications.aspx?head=Uniform Regulations and Rules for Bankers Clearing Houses

https://rbi.org.in/Scripts/OccasionalPublications.aspx?head=Procedural%20Guideline%20for%20Cheque%20Truncation%20System
https://rbi.org.in/scripts/FS_Notification.aspx?fn=9

3.2.4 क्लीयरिंग हाउस (जो आरबीआई द्वारा प्रबंधित नहीं हैं) के प्रेसिडेन्ट इस प्रकार की सदस्यता देने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से औपचारिक अनापत्ति प्राप्त करेंगे। यह क्लीयरिंग हाउस भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय (डीपीएसएस/नैशनल क्लीयरिंग सेल) से प्राप्त सूचना के आधार पर और भुगतान प्रणाली के लिए अनुमेय अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद सदस्य बैंक को क्लीयरिंग हाउस में प्रवेश देगा।

3.2.5 अनुच्छेद 2.2.2 में दी गई अभिगम कसौटियों को पूरा करने पर प्रतिष्ठान को साथ-ही-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक में चालू खाता/निपटानकर्ता बैंक के साथ चालू खाता खोलने की पात्रता भी मिल जाएगी अन्य अतिरिक्त अपेक्षाओं/निर्धारणों की जरूरत नहीं होगी।

3.2.6 उक्त के बावजूद आरबीआई/निपटान बैंक के साथ चालू खाते का परिचालन इस शर्त पर होगा कि समय-समय पर यथानिर्धारित प्रलेखन अपेक्षाओं और अन्य औपचारिकताओं को प्रतिष्ठान द्वारा पूरा किया जाए।

3.2.7 जिन अनुसूचित/लाइसेन्सधारी बैंकों को पहले ही केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस और एनईएफटी के सहभागी के तौर पर प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें सभी क्लीयरिंग हाउसों में विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की स्वत: सदस्यता के पात्र होंगे। हालांकि ऐसे बैंकों को विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की सदस्यता के संचालन हेतु क्लीयरिंग हाउस के प्रेसिडेन्ट को आवेदन करना होगा और यूआरआरबीसीएच) के विनियम 8 की शर्त लागू होगी।

खंड – IV

4. उप-सदस्यता सुविधा

4.1 उप-सदस्यता सुविधा

सभी अनुसूचित/लाइसेन्सधारी बैंक जिनके पास प्रौद्योगिकीय क्षमताएं तो हैं लेकिन वे या तो अभिगम कसौटियों को पूरा नहीं करते या फिर लागत के कारणों से भुगतान प्रणालियों में सहभागिता नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उप-सदस्यता एक वैकल्पिक व्यवस्था है।

4.2 केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों की उप-सदस्यता :

उप-सदस्य अपने प्रयोजक बैंक, जो केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली का प्रत्यक्ष सदस्य है, के माध्यम से केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों में सहभागिता करते हैं। गैर बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता सीपीएस में प्रयोजक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रयोजक बैंक को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा :

(क) एक प्रयोजक बैंक द्वारा प्रायोजित किए जाने वाले उप सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परिचालनगत व्यवहार्यता, जोखिम प्रशमन, निधि निपटान, संपार्श्विक, आदि से संबंधित पक्षों का ध्यान उप सदस्य/यों को प्रायोजित करने से पहले प्रयोजक बैंक को रखना होगा।

(ख) प्रयोजक बैंक उन उप सदस्य/यों की जोखिम प्रबंधन व्यवस्था और उप सदस्यों की जोखिम प्रबंधन परिपाटियों की सतत निगरानी की प्रणाली तैयार करेगा जिन्हें प्रायोजित करना चाहते हैं। जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को प्रयोजक बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रयोजक बैंक अपने उप सदस्य/यों की तरफ से संव्यवहारों/संदेशों को भेजने/प्राप्त करने का जिम्मेदार होगा।

(घ) उप सदस्यों द्वारा/पर संव्यवहारों के निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रयोजक बैंक के निपटान खाते में दिखाए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत प्रयोजक बैंक उप सदस्यों द्वारा/पर सभी संव्यवहारों के निपटान का पूरा दायित्व लेंगे।

(ङ) प्रयोजक बैंक सभी समय पर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उप सदस्य केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित नियमों, विनियमों, परिचालनगत अपेक्षाओं, अनुदेशों, आदेशों, निर्णयों, आदि का अनुपालन करेंगे और इनसे आबद्ध रहेंगे।

(च) ग्राहकों की सभी शिकायतों/परिवेदना का निवारण करने का दायित्व प्रयोजक बैंक पर होगा। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रायोजक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उप सदस्य/यों द्वारा ग्राहक की शिकायतों का तीव्र और दक्ष तरीके से निवारण करने के लिए पारदर्शी और प्रबल व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जैसा कि केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों के प्रक्रियागत दिशानिदेशों, कारोबारी नियमावली और विनियमावली में निर्धारित है।

(छ) प्रायोजक बैंक और उप सदस्य/यों के बीच सभी विवादों का निवारण उनके बीच आपसी सहमति से किया जाएगा।

(ज) क्रेडिट और वापसी को समय पर करने के अनुशासन केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों में अत्यधिक

महत्व के होते हैं, इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उप सदस्यों की जो शाखाएं कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं हैं, उनको केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों से तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक कि वे कोर बैंकिंग के अधीन नहीं आ जाती हैं।

(झ) प्रयोजक बैंक निम्नलिखित तथ्यों का तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाएगा :

- अपने उप सदस्य/यों का किसी भी संदेहास्पद संव्यवहार, धोखाधड़ी, आदि से संबंध;
- यदि इसके उप सदस्य/यों में से कोई भी केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों में अपनी सहभागिता के बारे में अनुचित व्यवहार का सहारा ले रहा हो;
- यदि इसके उप सदस्य/यों में से कोई भी केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों की नियमावली, विनियमावली, परिचालनगत अपेक्षाओं, अनुदेशों, आदि का अनुपालन नहीं कर रहा हो।

(ञ) प्रयोजक बैंक से अपेक्षित नहीं है कि केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों में अपने उप सदस्य/यों के प्रयोजन अथवा इसमें से अपने उप सदस्य/यों को हटाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करे। तथापि, जब भी बैंक उप सदस्य/यों को प्रयोजित करता है या उप सदस्य/यों का प्रयोजक बैंक के तौर पर कार्य करना छोड़ देता है जो यह तत्काल ही उप सदस्य/यों के विवरण, उप सदस्य/यों की शाखा/शाखाओं को आबंटित आइएफएससी/माइकर कोड, उप सदस्यता आदि की शुरुआत/समापन, आदि की जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को दे।

(ट) उप सदस्य/यों के ग्राहक संव्यवहारों के लिए जाने वाले प्रभार प्रयोजक बैंकों/केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों, अर्थात आरटीजीएस और एनईएफटी के प्रत्यक्ष सदस्यों के लिए अनुमेय प्रभारों से अधिक नहीं हो सकते हैं।

4.3 विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की उप सदस्यता

उप सदस्य अपने प्रयोजक बैंक के माध्यम से विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों में सहभागिता कर सकेंगे, इस बारे में यूआरआरबीसीएच के विनियम 10, 12, 15 और 16 की शर्तें अनुमेय होंगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

https://rbi.org.in/Scripts/OccasionalPublications.aspx?head=Uniform Regulations and Rules for Bankers Clearing Houses

खंड – V

5. सदस्यता की समीक्षा

5.1 कोई प्रतिष्ठान जिसे सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो सामान्यतया यह तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि इसे जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति है या भुगतान प्रणाली में इसकी सहभागिता किसी भी तरीके से उत्पाद/प्रणाली के सहज कार्यचालन में बाधक नहीं पाई जाती है या इसकी सदस्यता को संबंधित भुगतान प्रणालियों की नियमावली, विनियमावली और दिशानिदेशों के अनुसार लंबित/ वापस/समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निर्धारित करने का प्राधिकार रहेगा कि कोई सदस्य भुगतान प्रणाली में सहभागी बना रह सकता है या नहीं। यदि किसी प्रतिष्ठान का किसी भी भुगतान प्रणाली में बने रहना किसी भी तरीके से भुगतान प्रणाली के सुचारु कार्यचालन के लिए बाधक समझा जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार होगा कि उस प्रतिष्ठान के किसी भी भुगतान प्रणाली में अभिगम को वापस ले या लंबित करे।

5.3 यदि किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की गई है तो ऐसे मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे उपाय आरंभ कर सकता है, जिनमें ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा क्लीयरिंग हाउस में प्रस्तुतियों पर सीमा तय करना भी शामिल है। ऐसे प्रतिष्ठानों की प्रस्तुतियों पर सीमा का निर्णय संबंधित नियामक/पर्यवेक्षी विभाग/गों और/अथवा क्लीयरिंग हाउस के प्रेसिडेन्ट के परामर्श से किया जाएगा।

5.4 भुगतान प्रणालियों के लिए अभिगम प्राप्त प्रतिष्ठान के मामले में (और जिसके पास चालू खात, एसजीएल/आईडीएल–एसजीएल/सीएसजीएल खाता, एनडीएस–ओएम/कॉल सदस्यता है), यदि बाद में इसे भुगतान प्रणाली से वंचित कर दिया जाता है या भुगतान प्रणालियों में डाउनग्रेड कर दिया जाता है, तो अन्य खातों/सदस्यता को जारी रखने या अन्यथा के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से निर्णय किया जाएगा।

परिशिष्ट 1 – कवरिंग लैटर और आवेदन प्रपत्र (केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियां)

केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों की सदस्यता हेतु कवरिंग लैटर

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर>

मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
14वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई – 400 001

महोदय / महोदया

केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों (सीपीएस) की सदस्यता हेतु आवेदन

हम इसके द्वारा अपना आवेदन आरबीआई के मास्टर निदेश सं..... दिनांक ..... के अनुसार निम्नलिखित हेतु प्रस्तुत करते हैं :
(कृपया अनुमेय पर टिक लगाइये)

क. केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों यथा आरटीजीएस, एनईएफटी की सदस्यता
ख. बैंकिंग विभाग, आरबीआई ... क्षेत्रीय कार्यालय में चालू खाता
ग. आरबीआई में एसजीएल और आईडीएल – एसजीएल खाता
घ. आरबीआई में एनडीएस–ओएम और एनडीएस–कॉल सदस्यता
ङ. इनफिनेट सदस्यता

2. संदर्भाधीन मास्टर परिपत्र में अनिवार्य बताए गए अपेक्षित प्रलेख और जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य/वर्तमान और सम्पूर्ण है।

भवदीय

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
कम्पनी की सील:

तारीख :
स्थान :

संलग्नक :

भाग – क : सामान्य जानकारी

1. सीपीएस की सदस्यता के लिए इच्छुक आवेदक का नाम :
2. आवेदक का गठन : बैंक / वित्तीय संस्थान / प्राइमरी डीलर / अन्य प्रतिष्ठान :
3. वह संविधि जिसके तहत आवेदक का निगमन/की स्थापना हुई (अन्य प्रतिष्ठानों के लिए):
4. अवस्थिति (केवल बैंकों हेतु):

    क. लाइसेन्सधारी / लाइसेन्सरहित :

    ख. अनुसूचित / गैर-अनुसूचित :

5. पंजीकृत कार्यालय का पता :
6. निगमन की तारीख

    नोट : निगमन प्रमाणपत्र – प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि दी जाए।

7. व्यवसाय आरंभ करने की तारीख :

    नोट: संस्था के अंतर्नियम और संस्था के बहिर्नियम दिए जाएं।

8. रिज़र्व बैंक के संबंधित नियामक/पर्यवेक्षी विभाग का नाम या अन्य नियामक बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा)/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), आदि जैसी भी स्थिति हो :
9. भुगतान प्रणाली, जिसके लिए सदस्यता चाहिए :

    क. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस)

    ख. नैशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

10. अपेक्षित आरटीजीएस सदस्यता का प्रकार (नियमित/सीमित/क्लीयरिंग हाउस):

    नोट: सदस्यता प्रकार के लिए कृपया आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली, 2013 देखिए

11. सदस्यता लेने का प्रयोजन (प्रत्येक भुगतान प्रणाली के लिए अलग अनुलग्नक में विवरण दिए जाएं):
12. पूरे भारत में आपस में जुड़ी हुई और सीपीएस में सहभागिता के लिए संभावित शाखाओं की संख्या (भुगतान प्रणाली अनुसार) :
13. संभावित संव्यवहार मात्रा/मूल्य (भुगतान प्रणाली अनुसार):
14. भुगतान प्रणाली/प्रणालियां जिनमें आवेदक वर्तमान में सहभागी है:
15. क्या आवेदक केवल भुगतान प्रणाली/प्रणालियों के लिए सदस्यता चाहता है या भुगतान प्रणाली/प्रणालियों के लिए सदस्यता के साथ-साथ चालू खाता, एसजीएल, आईडीएल-एसजीएल और/या सीएसजीएल# खाता, एनडीएस-ओएम/सीएएलएल सदस्यता, इनफिनेट सदस्यता भी चाहता है :
16. बैंकिंग विभाग, रिज़र्व बैंक में चालू खाते की उपलब्धता की स्थिति : हां/नहीं

    क. यदि हां, तो चालू खाते के विवरण दिए जाएं :

    ख. यदि नहीं, तो कृपया इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाए (अनुलग्नक-I)

17. पीडीओ, मुम्बई में एसजीएल, आईडीएल-एसजीएल की उपलब्धता की स्थिति : हां/नहीं

    क. यदि हां तो एसजीएल / आईडीएल-एसजीएल खाते के विवरण दिए जाएं

    ख. यदि नहीं, तो कृपया इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाए (अनुलग्नक II)

18. क्या प्रतिष्ठान के पास एनडीएस-ओएम और एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता है : हां/नहीं

क. यदि हां तो एनडीएस-ओएम सदस्यता के विवरण?

ख. यदि हां तो एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता के विवरण?

ग. यदि नहीं तो, कृपया इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाए (अनुलग्नक III)

19. क्या आवेदक इनफिनेट का सदस्य है : हां/नहीं

क. यदि हां तो इनफिनेट सदस्यता का प्रमाणपत्र दिया जाए

ख. यदि नहीं तो, कृपया इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाए (अनुलग्नक IV)

#नोट: एसजीएल और आईडीएल-एसजीएल खाता आरटीजीएस / एनईएफटी के लिए अनिवार्य है।

भाग – ख : वित्तीय और जोखिम प्रबंधन के पहलू

1. वित्तीय संकेतक :

वित्तीय पैरामीटर	लेखापरीक्षित नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार
सीआरएआर	
निवल एनपीए	
मालियत	
विगत दो वर्ष में लाभ/हानि	

नोट: विगत दो वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण संलग्न करें। ऐसे प्रतिष्ठान जिनके वित्तीय संकेतक उपलब्ध नहीं है और/या अनुमेय नहीं है, वे इसका उल्लेख करें।

2. आवेदक को अलग-अलग सीपीएस की अनिवार्य तकनीकी/अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, इसे भाग-ग में कवर किया गया है।

3. जोखिम प्रबंधन की जो परिपाटियां विद्यमान हैं या भुगतान प्रणालियों में सहभागिता के लिए स्थापित करने की योजना है : इनकी विस्तृत जानकारी अलग से अनुलग्नक में दी जाए।

4. जोखिम प्रबंधन की जो परिपाटियां विद्यमान हैं या एसजीएल और/या सीएसजीएल खाते के परिचालन हेतु स्थापित करने की योजना है। इनकी विस्तृत जानकारी अलग से अनुलग्नक में दी जाए।

भाग – ग : सीपीएस, चालू खाता, एसजीएल, आईडीएल-एसजीएल, सीएसजीएल खाता, एनडीएस-ओएम और एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता और इनफिनेट सदस्यता हेतु अलग-अलग आवेदन फार्म

I. अनुलग्नक-I: रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में चालू खाता खोलने हेतु आवेदन फार्म

II. अनुलग्नक-II: रिज़र्व बैंक, मुम्बई में एसजीएल और आईडीएल-एसजीएल खाता खोलने हेतु आवेदन फार्म

III. अनुलग्नक-III: एनडीएस-ओएम और एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता हेतु आवेदन-फार्म

IV. अनुलग्नक-IV: इनफिनेट सदस्यता हेतु आवेदन फार्म

V. अनुलग्नक-V: आरटीजीएस सदस्यता हेतु आवेदन फार्म

VI. अनुलग्नक-VI: एनईएफटी सदस्यता हेतु आवेदन फार्म

अनुलग्नक-I: चालू खाता आवेदन प्रपत्र

बीडीएफ 3

भारतीय रिज़र्व बैंक
लिमिटेड कम्पनियों /एसोसिएशनों/बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों आदि के लिए
खाता खोलने का फार्म

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
----------.

महोदय/महोदया,

..... के नाम से चालू खाता खोलने हेतु
पंजीकृत कार्यालय : _____
पता: _____

आपसे अनुरोध है कि उक्त कम्पनी/एसोसिएशन के नाम से आप अपनी बहियों में एक खाता खोल दीजिए, हम इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख भेज रहे हैं :

i) *निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र।
ii) * व्यवसाय आरंभ करने का मूल प्रमाणपत्र (अपेक्षित नहीं यदि) –
    क) यदि कम्पनी का पंजीकरण 1913 से पहले हुआ हो और यह शेयर अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं करती हो।
    ख) कम्पनी गारंटी द्वारा लिमिटेड हो और इसके पास शेयर पूंजी नहीं हो।
iii) *संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम / उप नियमों की अद्यतन प्रतिलिपि जिसे बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रमाणित किया हो।*
iv) निदेशक बोर्ड के संकल्प की सत्य प्रतिलिपि (निर्धारित नमूने के अनुसार) जिसमें खाता खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया हो इसके साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षरों के नमूने जो अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हों।

2. हम इस खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित करने की सहमति देते हैं।

3. कृपया हमारे प्रयोग हेतु आर्डर/धारक चेक बुक भी प्रदान करें जिसमें ..... फॉर्म हों।

4. रिज़र्व बैंक के अपने संव्यवहार का रिकार्ड कंप्यूटर सिस्टम या अन्य प्रकार से रखा जाता है, इसे निश्चयात्मक मानते हुए स्वीकार किया जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होगा जब तक कि किसी भी विसंगति का उल्लेख प्रयोक्ता/खाता धारक द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से इस खाते में अभिगम करने की तारीख से या खाता धारक को खाते का विवरण भेजने की तारीख से, जो भी पहले हो, सात दिन के भीतर नहीं किया जाता है।

भवदीय/भवदीया,

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक/प्रबंध निदेशक

** मूल प्रलेखों की जरूरत केवल संवीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी एक प्रतिलिपि रखकर मूल प्रति लौटा दी जाएगी।*

खाते का संचालन करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु) ग हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किए गए --- 2. खाता संख्या _____ खोला गया _____ प्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक		

अनुलग्नक-II: एसजीएल, आईडीएल-एसजीएल आवेदन प्रपत्र

अनुषंगी प्रधान बही में खाता खोलने के लिए आवेदन फार्म (पीडाओ 136)

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर>

पता :
तारीख :

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय,
मुम्बई – 400 001

महोदय/ महोदया,

अनुषंगी प्रधान लेखाबही में खाता

हम इसके साथ अनुषंगी प्रधान खाताबही में खाता खोलने के लिए आपके पद्धतिपरक ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार अपने द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि हमारे नाम में हमारे पास निम्नलिखित प्रतिभूतियों को कृपया हमारे नाम से खोले जाने वाले खाते में क्रेडिट कर दिया जाए।

2. हम यह पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा उक्त बॉन्ड में दी गई वचनबद्धता में हमारे नाम से धारित सभी प्रतिभूतियों को शामिल कर लिया गया है।

3. हम उन प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नमूना हस्ताक्षर शीट भी संलग्न कर रहे हैं, जिन्हें अनुषंगी प्रधान बही में खाते का संचालन करने की शक्ति दी गई है। इस बारे में संबंधित पॉवर ऑफ एटॉर्नी पहले ही से आपके कार्यालय की बहियों में पंजीकृत करा ली गई है जिसकी संख्या है.....।

4. बैंकिंग विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ….. क्षेत्रीय कार्यालय में हमारा चालू खाता सं..... है (जिन प्रतिष्ठानों का खाता आरबीआई में नहीं है उनके लिए अनुमेय नहीं)।

अथवा

(केवल उन प्रतिष्ठानों के लिए अनुमेय जो केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली के लिए आवेदन नहीं कर रहे)

हमारा चालू खाता सं. .... बैंक की ..... शाखा में है जिसका आइएफएस कोड ..... है। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा धारित प्रतिभूतियों का ब्याज और इनकी परिपक्वता पर मिलने वाले भुगतानों को हमारे इसी खाते में क्रेडिट कर दिया जाए।

5. हम यह भी वचन देते हैं कि यदि भविष्य में किसी अन्य राज्य में विद्यमान कानून के अधीन यदि अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क देय हुआ तो उसकी लागत का वहन हम करेंगे।

6. हम वचन देते हैं कि एसजीएल खाता खोलने के तुरंत बाद ही हम इनफिनेट सम्पर्कनीयता और एनडीएस–ओएम /सीसीआईएल सदस्यता प्राप्त कर लेंगे।

कृपया पावती दीजिए।

भवदीय,

प्राधिकृत पदाधिकारी

(1) (2)

संलग्नक :

क्षतिपूर्ति बॉन्ड : संबंधित प्रतिष्ठान के दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किए जाय

(लागू राज्य स्टैम्प कानून के अनुसरण में स्टैम्पकृत किया जाए)

पीडीओ-137 **कम्पनी**

पैरा 16.21(ख)

स्टैम्प

रु.

यह अनुबंधपत्र ..... में निगमित .....कम्पनी/बैंक जो अपना कारोबार ..... और भारत में अन्यत्र चलाते हैं, जिसे इसके पश्चात 'बाध्यताधारी' कहा गया है (इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ से अपेक्षित हो तो इसके अनुगामी या समनुदेशिती शामिल होंगे) इसके प्रथम पक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का द्वितीय के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे इसके बाद 'बाध्यताकारी' कहा गया है (इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ से अपेक्षित हो तो इसके अनुक्रमी या समनुदेशिती शामिल होंगे) इसके द्वितीय पक्ष के बीच दिनांक..... (माह)..... दो हजार..... को निष्पादित किया गया।

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अधिनियम के तहत किया गया है और जबकि बाध्यताधारी के अनुरोध पर और उसकी सुविधा के लिए बाध्यताकारी यह सहमति देता है कि बाध्यताधारी को अनुमति देने की सहमति देता है कि बाध्यताकारी अपने पास अपने नाम से धारित सरकारी प्रतिभूतियों को बाध्यताकारी के पास इन अधिकारों के साथ लॉज करे कि लैजर फॉर्म में इसे स्टॉक में संपरिवर्तित कर सकते हैं और साथ ही पुन: संपरिवर्तित कर सकते हैं और जबकि बाध्यताकारी ने भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की राज्य सरकार प्रतिभूतियों के संबंध में भारत में इसके किसी भी लोक ऋण कार्यालय की बहियों में लैजर खाता खोलने की सहमति दी है ताकि बाध्यताधारी इसमें समय-समय पर बाध्यताकारी के पक्ष में बाध्यताधारी के पास प्रतिभूतियों को रख सके और जबकि बाध्यताकारी ने जमाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर भरोसा करते हुए कि वह बताई गई इन प्रतिभूतियों के लिए न्यायसंगत रूप से हकदार है, यह सहमति देता है कि जो प्रतिभूतियां बाध्यताकारी के पास समय-समय पर रखी जाएंगी उन्हें स्वीकार किया जाएगा इसमें इन प्रतिभूतियों की हकदारी या मिलकियत या इन पर किसी पृष्ठांकन को स्वीकृति नहीं है, बशर्ते बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताकारी के पक्ष में यहां बताए अनुसार एक क्षतिपूर्ति की सहमति देते हुए विलेख निष्पादित किया जाए कि इन प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे, मांग, कार्रवाई, कानूनी कार्यवाहियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों के प्रति पूर्णतया और प्रभावी रूप से भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों /राज्य सरकारों, जिनकी प्रतिभूतियों को बाध्यताधारी द्वारा समय-समय पर बाध्यताकारी के पास निक्षेपित किया जाना है, और जबकि इन कागजात के रूप में बाध्यताकारी ने क्षतिपूर्ति का विलेख निष्पादित करने की सहमति दी गई है, अब इस विलेखपत्र में यह साक्ष्य दिया जाता है कि वर्णित करारनामे के अनुसरण में और पूर्वशर्तों पर विचार करते हुए बाध्यताकारी को बाध्यताधारी एतदद्वारा यह सहमति देता है कि वह बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताकारी के पास समय-समय पर निक्षेपित और स्टॉक में परिवर्तित तथा संबंधित लैजर खाते में क्रेडिट के रूप में धारित और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, की धारा 15 की उप-धारा (2) के उपबंधों के, या अन्यथा के, अनुसरण में इस बॉन्ड को बाध्यताकारी जिस व्यक्ति को इस करारनामे में बाध्यताकारी द्वारा

इन पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की किसी भी रकम सहित उपरोक्त सभी या किसी प्रतिभूति समनुदेशित करता है उसे भुगतान या प्रतिपूर्ति करे, बाध्यताधारी इस संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी प्रकार के सभी दावों, कार्रवाइयों, मांगों, कानूनी कार्यवाहियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों के बदले में और इससे प्रभावों के प्रति भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपालों/सरकारों को इनकी सम्पदा को इसके बाद से समय-समय पर और हर समय उचित और प्रभावी रूप से सुरक्षित रखने, बचाव करने, हानि-रहित अवश्य बनाए रखेगा

उक्त बाध्यताधारी की कॉमन सील इस पर लगाई गई@

इसके साक्ष्य स्वरूप ----------

इन कागजात पर बाध्यताधारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए@

तारीख और वर्ष ऊपर पहले ही लिखे हैं।

* यहां बताए कि रिज़र्व बैंक में प्रधान खाता किस स्थान पर है।
@ वही रखें जो अनुमेय है।

एसजीएल खाता खोलने हेतु और सरकारी प्रतिभूति सौदे करने के लिए पारित संकल्प की नमूना प्रति

<u>संकल्प का नमूना</u>**

बैठक का स्थान पूरे पते के साथ :

स्थान :
बैठक की तारीख :
द्वारा आयोजित :

संकल्प किया जाता है कि ..... (बैंक / न्यास/कम्पनी का नाम) के न्यासी / पदाधिकारी / निदेशक सर्वश्री..... @

या इनमें से किन्हीं दो को एतदद्वारा संयुक्त रूप से प्राधिकृत किया जाता है कि वे ..... (बैंक / न्यास/ कम्पनी का नाम) की तरफ* से प्रतिभूतियों के विक्रय, क्रय, अंतरण, पृष्ठांकन, परांकन और/अथवा अन्य प्रकार से लेनदेन कर सकेंगे और क्षतिपूर्ति के पत्रों पर हस्ताक्षर, क्षतिपूर्ति बॉन्ड के निष्पादन, गारंटी, घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए और इन प्रतिभूतियों के ब्याज और मूलधन को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

सत्यापित प्रतिलिपि

हस्ताक्षर _____ निधि / कम्पनी / बैंक के अध्यक्ष/ कम्पनी सचिव/ निदेशक

----------बैंक / निधि / न्यास/ कम्पनी

नोट: संकल्प में नामों, जी. पी. नोट को अवश्य ही समरूप होना चाहिए (एसजीएल खाते में डेबिट करने किसी भी कार्यालय को जारी किए जा रहे जीपी नोट में परिवर्तित करने के मामले में अनुमेय)

@कृपया न्यासियों के निजी/व्यक्तिगत नाम/नामों का उल्लेख कीजिए।

*यहां पर निधि/न्यास का नाम बताया जाए। यहां बताया गया नाम पंजीकरण/ आयकर आयुक्त /चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी मान्यता प्रमाणपत्र में बताए गए नाम के जैसा ही होना चाहिए।

**बैठक होने की तारीख के छह महीने के भीतर ही यह संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

<u>आरबीआई में एसजीएल खाता खोलने हेतु जांचसूची</u>

क. एसजीएल खाता खोलने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों की सामान्य सूची

क्रमांक	प्रलेखों का नाम
1.	पीडीओ मैनुअल, 1999 के अनुसार फार्म 136 में एसजीएल खाता खोलने के लिए आवेदन। ई-कुबेर सदस्यता सं. को फार्म पर दर्शाया जाए[1]
2.	स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति का बॉन्ड (लागू राज्य स्टैम्प विधि के अनुसार) जिसे संबंधित प्रतिष्ठान के दो प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाए। (सहकारी बैंकों के लिए पैरा 16.21 के अनुसार कोई स्टैम्प शुल्क अपेक्षित नहीं है : पीडीओ मैनुअल चतुर्थ संस्करण, 1999 के नोट)
3.	निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र/बैंकिंग लाइसेन्स की प्रतिलिपि जिसे अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (एमडी/ या कम्पनी सचिव (सीएस) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
4.	एसजीएल खाता खोलने और सरकारी प्रतिभूतियों में सौदे करने के लिए पारित संकल्प की प्रति। इसे जिस बैठक में पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा 'सत्य प्रति' के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। बोर्ड का यह संकल्प छह माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
5.	इस खाते के संचालन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों के दो सेट (मूल रूप में), जिसे अध्यक्ष या एमडी या सीएस द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
6.	आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7.	नियमावली/विनियमावली/अंतर्नियमों और बर्हिनियमों/उपनियमों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियां
8.	बैंकिंग विभाग, आरबीआई में चालू खाते की सं. या नामित निपटान बैंक (डीएसबी) में खाता संख्या। डीएसबी खाते के मामले में निरस्त चेक की प्रतिलिपि एनईएफटी अधिदेश के साथ संलग्न की जाए।
9.	एनडीएस-ओएम/ई-कुबेर सदस्यता आवेदन और स्टैम्प पेपर (लागू राज्य स्टैम्प कानून के अनुसार) पर वचनबद्धता। दोनों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाए।
10.	विदेशी बैंकों को पॉवर ऑफ एटार्नी [2] भी प्रस्तुत करनी होगी। .
11.	आईडीएल-एसजीएल खाता खोलने के लिए आवेदन (केवल तब यदि केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली में सहभागिता कर रहे हैं)
12.	रेपो और रिव-रेपो एसजीएल खाते खोलने के लिए अनुरोध पत्र (केवल पात्र प्रतिष्ठानों के लिए और यदि प्रतिष्ठान रेपो और/या रिव-रेपो नीलामियों में सहभागिता करना चाहते हों)
13.	प्राइमरी नीलामी, ओएमओ, आदि के लिए आवेदक की तरफ से अपने चालू खाते (आरबीआई में) को डेबिट करने के लिए आरबीआई को प्राधिकृत करते हुए नामित निपटान बैंक से एक बारगी लिया जाने वाला अधिदेश (केवल तभी अनुमेय जब प्रतिष्ठान का चालू खाता आरबीआई में नहीं हो और वह प्राइमरी नीलामियों, ओएमओ, आदि में सहभागिता करना चाहती हो।

नोट: उपर्युक्त सभी प्रलेखों की प्रतिलिपियों को प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीएस द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

>सीएसजीएल खाता खोलने के लिए जिस प्रतिष्ठान के पास पहले ही एसजीएल खाता हो, यदि पात्र हो तो उसे इस आवेदन के साथ ही लिखित अनुरोध करना होगा।

[1] यदि सरकारी प्रतिभूतियां रखने के लिए ई-कुबेर सदस्य आईडी पीडीओ/डीएडी मुम्बई से पहले ही नहीं ली गई है तो आवेदन को प्रोसेस करते समय इसका सृजन कर दिया जाएगा।

[2] भारत में और भारत से बाहर निष्पादित पॉवर ऑफ एटॉर्नी को भारत में संगत अधिनियमों (यथा – नोटरी अधिनियम, 1952, भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899, आदि, यथाअनुमेय) के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज और मूलधन को प्राप्त करने और/या इनके बेचान/अंतरण के लिए स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। विदेशी बैंक के संदर्भ में प्रस्तुत पॉवर ऑफ एटॉर्नी पर उनके सीईओ/एमडी/सीएस द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं; पॉवर ऑफ एटॉर्नी पर दाता और आदाता के नाम और निष्पादन की तारीख होनी चाहिए; जिस स्थान पर इसका निष्पादन किया गया है वहां के नोटरी द्वारा नोटरीकृत हो और संबंधित देश में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा सत्यापित हो; प्रलेखों को अशर्त होना चाहिए। जैसा कि भारतीय स्टैम्प अधिनियम की धारा 17 के तहत अपेक्षित है विदेश में निष्पादित सभी प्रलेखों को भारत में प्राप्त होने के तीन माह के भीतर स्टैम्पकृत कराना होगा। इसके अलावा उस देश के साथ हुई पारस्परिक व्यवस्थाओं के अनुसार अन्य अपेक्षाओं को भी पूरा किया जाना होगा।

आईडीएल-एसजीएल खाता खोलने हेतु आवेदन फार्म

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर>

प्रतिष्ठान का नाम :
पता :
दिनांक :

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय,
मुम्बई - 400 001

महोदय

<u>आंतर दिवसीय (आईडीएल) एसजीएल खाता :</u>

आंतर दिवसीय चलनिधि सुविधा प्राप्त करने के प्रयोजन से आपसे अनुरोध है कि एसजीएल खाता खोलने के बाद ..... के नाम से आंतर दिवसीय रेपो (आईडीएल) एसजीएल खाता खोल दिया जाए।

भवदीय

प्राधिकृत पदाधिकारी

अनुलग्नक III: एनडीएस-ओएम और एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता

एनडीएस-ओएम सदस्यता हेतु आवेदन फार्म

आरबीआई एनडीएस-ओएम सेग्मेन्ट में सदस्यता पाने के लिए आवेदन फार्म का प्रपत्र। इसे निष्पादित करने से पहले महाराष्ट्र स्टैम्प शुल्क के अनुसार स्टैम्प शुल्क के लिए फ्रैन्किंग की जाए (स्टैम्प शुल्क के लागू कानून के अनुसार स्टैम्प किया जाए)

सेवा में
मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
मुम्बई

महोदय/महोदया

नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम की आर्डर मैचिंग (एनडीएस – ओएम) की सदस्यता हेतु अनुरोध

हम इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम – आर्डर मैचिंग (एनडीएस – ओएम) की सदस्यता निम्नलिखित सदस्य के रूप में पाना चाहते हैं :

☐ आर्डर मैचिंग और रिपोर्टेड दोनों सेग्मेन्ट हेतु

☐ केवल रिपोर्टेड सेग्मेन्ट हेतु

2. अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:

ए	आवेदक का नाम			
बी	आरबीआई सीबीएस-ई-कुबेर सदस्य आईडी			
सी	सीसीआईएल सदस्य आईडी			
डी	मुद्रा बाजार / निश्चित आय परिचालन में प्रमुख कार्यचालकों के सम्पर्क विवरण			
	ट्रेजरी प्रमुख	डीलिंग प्रमुख/ प्रमुख डीलर	ट्रेजरी परिचालन/ बैक ऑफिस के प्रमुख	मिड ऑफिस / जोखिम प्रबंधन के प्रमुख
नाम				
पदनाम				
डाक का पता				

टेलिफोन नंबर				
मोबाइल नंबर				
टेलिफैक्स नंबर				
ईमेल आईडी				
ई	आईटी के प्रधान कार्यचालकों के संपर्क विवरण			
	आईटी प्रमुख /सिस्टम प्रभारी		आईटी विभाग में एनडीएस परियोजना प्रभारी	
नाम				
पदनाम				
डाक का पता				
टेलिफोन नंबर				
मोबाइल नंबर				
टेलिफैक्स नंबर				

एफ	आई टी से संबद्ध महत्त्वपूर्ण जानकारी नोट: प्राइमरी सर्वर जिसपर एनडीएस – ओम का लाइव संचालन हो रहा है। सेकेन्डरी – स्टैन्ड बाय सर्वर				
1	एनडीएस – ओम सर्वर के विवरण				
क.	पीजीएस का मेक/ब्रान्ड	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ख.	सीपीयू का प्रकार और गति	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ग.	ऑपरेटिंग सिस्टम – सर्विस पैक सहित	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
घ.	मेमोरी	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ङ.	पार्टीशन अनुसार कुल डिस्क स्पेस	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
च.	पीजीएस पर वर्तमान फ्री हार्डडिस्क स्पेस	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
छ.	डोमेन का नाम	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ज.	पीजीएस पर वर्तमान में कनेक्ट की हुई एप्लीकेशनों की संख्या और विवरण	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
झ.	इनफिनेटा आईपी एड्रेस	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ञ.	आईबीएम वेबस्फेयर एमक्यू सिरीज – संस्थापित संस्करण	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ट.	क्यू प्रबंधकों की संख्या	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ठ.	क्यू प्रबंधक के नाम	प्राइमरी		सेकेन्डरी	
ड.	पब्लिक की प्रमाणपत्र क्रम संख्या				

ढ.	पब्लिक की प्रमाणपत्र की वैधता	तारीख से		तारीख तक	
ण.	फाल्ट सहनीयता के फीचर, यदि कोई हों				
त.	क्या सर्वर 24 घन्टे चलता रहता है	हां		नहीं	
थ.	यदि उक्त (त) का उत्तर नहीं में है तो दैनिक परिचालन घन्टे बताएं				
द.	इनफिनेट सम्पर्क (64 kbps/2 mbps आदि)				
ध.	सदस्य के भुगतान गेटवे सर्वर से इनफिनेट और सेवा प्रदाता के बीच संपर्क का तरीका	एमपीएलएस / लीज की हुई लाइन			
न.	उक्त (प) के लिए बैक-अप	एमपीएलएस / लीज की हुई लाइन			

प.	फायरवाल विवरण (नाम, ब्रान्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि)		
फ.	समस्याओं के विवरण जो अब तक नेटवर्क से संबद्ध हों, यदि कोई हो		
2	पीसी वर्कस्टेशन के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का विवरण जिसपर 'एनडीएस–ओएम' लोड करना प्रस्तावित है		
	विशिष्टताएं	न्यूनतम अपेक्षाएं	वास्तविक
क	हार्डवेयर		
	सीपीयू	इन्टेल कोर 2 ड्यूओ प्रोसेसर या उच्चतर	
	क्लॉक स्पीड		
	RAM	2 GB	
	मॉनिटर	SVGA कलर मॉनिटर	
	हार्ड डिस्क पर फ्री स्पेस	80 GB	
ख	सॉफ्टवेयर		
	ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस पैक सहित	विन्डोज XP प्रोफेशनल सर्विस पैक 3 सहित / विन्डोज 7 प्रोफेशनल 32bit	
	डाटाबेस		
	मैसेजिंग	IBM MQ सीरीज क्लांइट (सँस्करण 7.0)	
	डोमेन/वर्कग्रुप प्रयोक्ता हेतु विन्यासित एनडीएस-ओएम		

	मनोनीत पीसी वर्कस्टेशन हेतु कोई अन्य MQ सर्वर परिवेश का वैरिएबल सेट	नहीं		
ग	एनडीएस – ओएम पीसी वर्कस्टेशन के साथ उचित प्रिन्टर जोड़ा गया है		हां	
3	खाते के विवरण			
	चालू खाते के विवरण		एसजीएल खाते के विवरण	
	बैंक का नाम (आरबीआई / मनोनीत निपटान बैंक)	खाता संख्या	मालिकाना एसजीएल खाता संख्या	अवयवी एसजीएल खाता संख्या
4	यह आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद प्रयोक्ता अनुरोध टेम्पलेट भेजी जाएगी।			

5. हम एतदद्वारा वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विशिष्टताओं के अनुसार हम अपने कारोबारी परिसर में अपनी लागत पर अपेक्षित आईटी और संचार अवसंरचना स्थापित करेंगे ताकि एनडीएस-ओम के लिए हमारे सम्पर्क और सहज संचालन की सुविधा रहे।

6. हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व-लिखित सहमति लिए बिना एनडीएस-ओम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के किसी भी भाग को मूव/शिफ्ट/रिलोकेट/ट्रांस्फर/रेपलिकेट/डुप्लिकेट नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं कि जब भी हमें सूचित किया जाएगा तो हम अपनी लागत पर उक्त उपकरणों को नवीकृत, अपग्रेड या बदलने का काम करेंगे। हम यह भी वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व-लिखित सहमति के बिना हम सॉफ्टवेयर /हार्डवेयर को नवीकृत, अपग्रेड या बदलने का काम नहीं करेंगे।

7. हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि –

(क) हम सीसीआईएल के सक्रिय सदस्य है;

(ख) हम जानते हैं कि एनडीए-ओएम की हमारी सदस्यता आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) की हमारी सदस्यता के साथ सह-समापक होगी;

(ग) सभी नियामक अपेक्षाओं का पूरा अनुपालन किया जा रहा है और अनुपालन नहीं करने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है;

(घ) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियां नियत हैं;

(ङ) किसी भी सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा अनर्हक होने का कोई आदेश या इसी प्रभाव का कोई आदेश न तो हमारे लिए लागू है और न ही हमें किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (खाजाना बिलों सहित) में किसी भी लेनदेन निहित हो;

(च) एनडीए-ओएम की सदस्यता हेतु अनुरोध करने से पहले हमने अपने आंतरिक नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित अनिवार्य अनुमोदन(नों) प्राप्त कर लिए हैं ;

(छ) हम एनडीए-ओएम से संबंधित 'निदेशक सिद्धांतों' को पढ़ और समझ चुके हैं। हम एनडीए-ओएम के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, सिद्धांतों, शर्तों और निबंधनों से आबद्ध रहेंगे और समय-समय पर ऐसे सभी यथा संशोधित नियम, विनियम, सिद्धांत, शर्त और निबंधन हमारे लिए बाध्यकारी होंगे;

(ज) हम आरबीआई के साथ अपने सभी पत्राचारों में अपनी एनडीए-ओएम सदस्य संख्या और संबंधित एनडीए-ओएम प्रयोक्ता संख्या का उल्लेख करेंगे जो हमें एनडीए-ओएम में अभिगम प्रदान करते समय आबंटित की गई है;

(झ) रिज़र्व बैंक और/या इसका कोई भी पदाधिकारी किसी ऐसी हानि या नुकसान या परिणामों के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा जो हमारी एनडीए-ओएम सदस्य संख्या और/या एनडीए-ओएम प्रयोक्ता संख्या के अप्राधिकृत और/या गलत उपयोग के कारण हो सकते हैं;

(ञ) एनडीए-ओएम इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और/या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में हमारा या हमारे किसी पदाधिकारी का कोई अधिकार, हक या रुचि नहीं होंगे;

(ट) हम जानते हैं कि हमारी तरफ से और साथ-साथ हमारे घटकों की तरफ से एनडीए-ओएम पर जो भी ऑर्डर/सौदे रिपोर्ट कर सकते (यथा अनुमेय) हैं और यह कि हमारी तरफ से या हमारे घटकों की तरफ से एनडीए-ओएम पर निष्पादित सौदों और एनडीए-ओएम में प्रविष्ट किए गए आर्डरों के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे;

(ठ) जहां तक हमारे घटक के ऑर्डरों/सौदों का संबंध है तो आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) संबंधी दिशानिदेशों में यथा अपेक्षित अनुपालन सख्ती से पूरे किए गए हैं;

(ड) हमारे पास स्पष्ट और समेकित अभिगम नियंत्रण नीतियां, प्रणाली और पद्धतियां हमारे संगठन में नियत हैं और ये पूरी तरह से लागू हैं और इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु इनकी सतत निगरानी की जाती है;

(ढ) हम अपने किसी भी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति(यों)/प्रतिष्ठान(नों) को ऐसी अनुमति नहीं देंगे कि वे –

i. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरबीआई द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करें;
ii. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरबीआई द्वारा अनुमोदित वर्कस्टेशन(नों) के अलावा किसी अन्य उपस्कर पर करें;
iii. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर को कॉपी, इसमें परिवर्तन, संशोधन नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति को उपलब्ध कराएं;
iv. इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से करें;
v. किसी अप्राधिकृत लोकेशन पर वर्कस्टेशन पर संस्थापना या परिचालन करें।

(ण) इस सॉफ्टवेयर का बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रिज़र्व बैंक का रहेगा और इसका कोई भी अप्राधिकृत उपयोग उल्लंघन का कृत्य माना जाएगा और तदनुसार उससे निपटा जाएगा।

(त) सदस्य यह सहमति देता है कि रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) में या क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों और एनडीएस-ओएम पर सौदाकृत या रिपोर्ट की गई अन्य सभी लिखतों के संबंध में सदस्यों के जिन भावों/सौदों को सीधे ही निपटाया और क्लीयर गया या अस्वीकार किया गया उनसे संबंधित जानकारी जब भी रिज़र्व बैंक द्वारा नियामक

प्राधिकरणों, सरकार, अन्य एजेन्सियों और प्रेस और मीडिया को अनिवार्यतया देना/प्रकट करना या प्रसरण करना रिज़र्व बैंक के पूर्णतया विवेकाधीन रहेगा।

(थ) सदस्य के कार्यालय परिसर में स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए रिज़र्व बैंक को जिम्मेदार या इसका भागी नहीं ठहराया जाएगा। रिज़र्व बैंक को यह अधिकार रहेगा कि सदस्य के पास एनडीए-ओएम एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर चलाने वाले कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण करे।

(द) रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार है कि एनडीए-ओएम के सदस्य के रूप में सदस्य को बरकरार रखने की समीक्षा करे, यदि रिज़र्व बैंक के अभिमत में कोई ऐसी घटना हुई हो या घटना होने की संभावना हो जिसमें संबंधित सदस्य द्वारा रिज़र्व बैंक के हितों या रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी नीतिगत परिवर्तन को प्रत्यक्ष या किसी अन्य प्रकार से प्रभावित किया गया हो/प्रभावित किए जाने की संभावना हो।

(ध) सदस्य यह सहमति देता है कि यदि वह किसी भी समामेलन, अविलयन या किसी उपक्रम के अधिग्रहण सहित किसी भी प्रकार का निगमगत पुर्नगठन करता है तो उसकी सदस्यता विनियमों के अनुसार निलंबन/समापन के लायक हो जाएगी।

(न) सदस्य के प्रबंधन वर्ग में किसी भी निगमगत परिवर्तन की स्थिति में रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि जो भी जानकारी, डाटा और प्रलेख जरूरी समझे जाएं उनकी मांग करे और सदस्य को यह सब रिज़र्व बैंक को देना होगा और इस बारे में जो भी जरूरी वह सहयोग भी प्रदान करेगा।

(प) सदस्य यह सहमति देता है कि वह अपने द्वारा एनडीएस-ओएम के माध्यम से अन्य सदस्यों के साथ किए गए सभी संव्यवहारों के संबंध में आबद्ध रहेगा और आईडीआरबीटी द्वारा वर्तमान में दिए गए डिजिटल हस्ताक्षरों या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियुक्त प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करेगा।

(फ) सदस्य बिना किसी शर्त और अविकल्प रूप से सहमति देता है कि आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) के माध्यम से उसके द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक एसजीएल अंतरण का कोई भी संव्यवहार सदस्य के लिए बाध्यकारी होगा। सदस्य किसी भी कारण से बाद में किसी भी संव्यहार को अस्वीकार नहीं करेगा और रिज़र्व बैंक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रकारों पर कार्य करेगा और बिना किसी जोखिम और दायित्व के इन संव्यवहारों को स्वीकार करते हुए पूरा करेगा।

(ब) सदस्य यह सहमति देता है कि एनडीएस-ओएम के माध्यम से निपटान हेतु इलेक्ट्रानिक रूप से रिपोर्ट किए गए सौदों पर अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप हुए किसी भी संभावित हानि/नुकसान के प्रति रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

(भ) रिज़र्व बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सदस्य एतदद्वारा यह सहमति देता है कि एनडीएस-ओएम के माध्यम से सुविधाएं लेते समय सदस्य द्वारा या सदस्य के किसी कर्मचारी, एजेन्ट, नौकर या प्रतिनिधि के तरफ से किसी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी हानि, नुकसान, लागत, व्यय के कारण रिज़र्व बैंक को होने वाली किसी भी हानि/नुकसान के बदले में सदस्य द्वारा रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी और रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्त बनाए रखेगा।

(म) सदस्य यह सहमति देना है कि विभिन्न सुविधाओं यथा नीलामी-बोलियों, नीलामियों में इनकी प्रस्तुत और उनके परिणाम, भाव देने, प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में सौदे, डील टिकट तैयार करना और डीलरों और निपटानकर्ताओं द्वारा अनुमोदन अर्थात रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक बुक के प्रविष्टि फार्म में

द्वारा निपटाए गए किसी संव्यवहार की प्रविष्टि करने हेतु एनडीएस-ओएम सुविधा का प्रयोग करने के दायित्व पूरी तरह से सदस्य पर ही रहेगा। सदस्य यह अभिस्वीकृति भी देता है कि इस वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से पूरी तरह से अभिज्ञ है और एनडीएस-ओएम एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की शर्तों को पूरी तरह से समाविष्ट करता है।

(य) सदस्य और रिज़र्व बैंक/किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचनबद्धता के विवेचन, अर्थ या इसके प्रभाव के संबंध में सदस्य/यों या रिज़र्व बैंक या किसी अन्य मामले को लेकर कोई विभेद/विसंगति पैदा होने की स्थिति में बैंक का निर्णय इस बारे में अंतिम होगा।

8. हम यह भी वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित और मंगाई गई सभी जानकारी/प्रलेख रिज़र्व बैंक को प्रदान करेंगे और सभी विलेखों, वचनबद्धताओं, क्षतिपूर्ति और/या बॉन्ड का निष्पादन, उन पर हस्ताक्षर और अभिदान करेंगे।

9. हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा जानकारी दी गई हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य, सही और सम्पूर्ण है। यदि उक्त में से कोई भी अभिकथन मिथ्या, अनुचित, गलतबयानी का पाया जाता है या किसी भी वचनबद्धता या निर्धारित शर्त का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक जो भी ठीक समझे वह कार्रवाई करेगा जिसमें हमारी एनडीएस-ओएम सदस्यता का समापन भी शामिल है।

10. हम इसके द्वारा यह भी वचन देते हैं कि उक्त तथ्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने / हमारी जानकारी में आने, जो भी स्थिति पहले हो, के 15 दिन के भीतर इसकी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे।

11. हम एतदद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि एनडीएस-ओएम (पृष्ठ 1 पर इंगित कारोबारी खंड की) सदस्यता पाने हेतु इस प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा सभी अपेक्षित आंतरिक अनुमोदन लेने के बाद यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है और इस पर हमारे संगठन के ट्रेजरी प्रमुख/वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जिन्हें यह अनुरोध करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

एनडीएस-सीएएलएल सदस्यता हेतु आवेदन फार्म

आरबीआई एनडीएस-सीएएलएल की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन फार्म का प्रपत्र निष्पादन से पहले इसे महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम के अनुसार फ्रैन्किंग किया जाए

(राज्य स्टैम्प कानून के अनुसार इसे स्टैम्प किया जाए)

सेवा में
मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
मुम्बई

महोदय/महोदया

मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा सौदों के लिए इलेक्ट्रानिक स्क्रीन आधारित भाव-संचालित बेचान प्रणाली का सूत्रपात भारतीय रिज़र्व बैंक के नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के रूप में किया जा रहा है ताकि मुद्रा बाजार में (एनडीएस-सीएएलएल) स्क्रीन आधारित सौदे करने में सुविधा रहे।

हम इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के एनडीएस-सीएएलए सिस्टम की सदस्यता लेना चाहते हैं ताकि मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा सौदों को अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाजार में निष्पादित करने के लिए स्क्रीन आधारित बेचान की सुविधा ले सकें।

2. यथा अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:

ए	आवेदक का नाम	
बी	एनडीएस सदस्यता आईडी	
सी	आरटीजीएस सदस्यता आईडी	
डी	सीसीआईएल सदस्यता आईडी (यदि हो)	
ई	मुद्रा बाजारों /निश्चित आय परिचालनों में प्रमुख कार्य करने वालों के संपर्क-विवरण	

	ट्रेजरी प्रमुख	डीलिंग के प्रमुख/ चीफ डीलर	ट्रेजरी परिचालन / बैक ऑफिस के प्रमुख	मिड ऑफिस / जोखिम प्रबंधन प्रमुख
नाम				
पदनाम				
डाक का पता				
दूरभाष नंबर				
मोबाइल नंबर				
टेलिफैक्स नंबर				

ईमेल आईडी				
ई	प्रमुख आईटी कार्यचालकों के संपर्क विवरण			
	आईटी प्रमुख/ सिस्टम प्रभारी		आई टी विभाग में एनडीएस परियोजना-प्रभारी	
नाम				
पदनाम				
डाक का पता				
दूरभाष नंबर				
मोबाइल नंबर				
टेलिफैक्स नंबर				
ईमेल आईडी				

एफ	आईटी संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी				
1	कार्यालय/लोकेशन (पते सहित) जहां एनडीएस भुगतान गेटवे संस्थापित है				
2	कार्यालय/लोकेशन (पते सहित) जहां एनडीएस सीएएलएल की संस्थापना प्रस्तावित है				
3	एनडीएस भुगतान गेटवे सर्वर (पीजीएस) के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का विन्यास और इनफिनेट संपर्कता के विवरण				
क	पीजीएस का मेक/ब्रान्ड				
ख	क्लस्टर बॉक्स का मेक/ब्रान्ड (क्लस्टर सर्वर के मामले में)				
ग	सीपीयू का प्रकार और गति				
घ	ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्विस पैक				
ङ	मेमोरी	नोड 1		नोड 2	
च	पार्टिशन अनुसार कुल डिस्क स्पेस	नोड 1		नोड 2	
छ	पीजीएस पर विद्यमान पार्टिशन अनुसार डिस्क स्पेस	नोड 1		नोड 2	
ज	डोमेन का नाम				
झ	पीजीएस पर वर्तमान में संस्थापित एप्लिकेशनों के संख्या और विवरण				
ञ	सर्वर इनफिनेट आईपी एड्रेस (होस्ट की तरफ विन्यस्त किए जाने वाले क्लस्टर सर्वर के मामले में फ्लोटिंग/वर्चुअल आइपी)				
ट	नैटेड/इनफिनेट क्लस्टर नोड/क्लस्टर बॉक्स का आईपी एड्रेस	नोड 1 क्लस्टर बॉक्स		नोड 2	

ठ	आईबीएम वेबस्फेयर एम क्यू सीरिज का संस्थापित संस्करण						
ड	क्यू प्रबंधकों की संख्या						
ढ	क्यू प्रबंधकों के नाम						
ण	संस्थापित डाटाबेस का नाम और संस्करण						
त	संस्थापित एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम और संस्करण						
थ	एन्टीवायरस अंतिम अपडेट की (तारीख)						
द	पब्लिक की प्रमाणपत्र क्रम संख्या						
ध	पब्लिक की प्रमाणपत्र की वैधता	से		तक			
न	फॉल्ट टॉलरेन्ट फीचर, यदि कोई हों						
प	क्या सर्वर 24वों घंटे चलता रहता है	हां		नहीं			
फ	यदि उक्त (न) का उत्तर नहीं है तो कृपया दैनिक परिचालन घंटों का उल्लेख करें						
ब	इनफिनेट राउटर ईथरनेटपोर्ट आईपी एड्रेस						
भ	इनफिनेट राउटर सीरियल पोर्ट आईपी एड्रेस						
म	सदस्य के भुगतान गेटवे सर्वर से इनफिनेट से संपर्कनीयता का माध्यम (कृपया संपर्कनीयता के अनुमेय मोड की बैन्डविड्थ बताएं उदा. 64केबीपीएस/ 2एमबीपीएस आदि)	लीजकृत लाइन		आईएसडीएन		वीएसएटी/ अन्य (कृपया बताएं)	
य	उक्त (म) के लिए बैक अप	लीजकृत लाइन		आईएसडीएन		वीएसएटी / अन्य (कृपया बताएं)	
कक	यदि फायरवॉल संस्थापित है तो उसका विवरण (नाम, ब्रांड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आदि)						
कख	नेटवर्क से जुड़ी समस्यओं के विवरण, यदि हों						
4	पीसी वर्कस्टेशन के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर विन्यास के विवरण जहां “एनडीएस-सीएएलएल” लोड करना प्रस्तावित है						
	विशिष्टताएं	विशिष्टताएं				वास्तविक स्थिति	
ए	हार्डवेयर						
	सीपीयू	इनटेल पेंटियम IV					

	क्लॉक स्पीड	>= 2.0 जीएचज़ेड	
	आरएएम	512 एमबी	
	मॉनिटर	एसवीजीए कलर मॉनिटर	
	फ्री हार्ड डिस्क स्पेस	2 जीबी	
बी	सॉफ्टवेयर		
	ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस पैक सहित	विन्डोज7 प्रोफशनल 32बिट / 64 बिट	
	डाटाबेस		
	मैसेजिंग	आईबीएम एमक्यू सीरीज क्लाइंट (संस्करण 7.0)	
	मनोनीत पीसी वर्कस्टेशन हेतु परिवेश परिवर्तन सेट के लिए कोई अन्य MQ सर्वर	नहीं	
	एन्टी वायरस सॉफ्टवेयर	हां	
सी	एनडीएस-सीएएलएल पीसी वर्कस्टेशन के साथ उचित प्रिन्टर जोड़ दिया गया है	हां	

5	भारतीय रिज़र्व बैंक से संबद्ध जानकारी	
I	वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक विनियमों के आधार पर मांग और नोटिस मुद्रा परिचालनों के लिए विनियामक सीमा(एं)। विद्यमान विनियामक दिशानिदेशों के आधार पर सीमाओं में कोई परिवर्तन होता है तो वह तत्काल ही रिज़र्व बैंक को बताया जाए।	
Ii	रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित आईएफए कोड	
Iii	डीएडी मुम्बई में प्रधान चालू खाते का विवरण	
6	प्रयोक्ताओं की अपेक्षित संख्या	

	प्रयोक्ताओं के नाम	वरीय लघु नाम (दस अक्षरों से अधिक नहीं हो और प्रत्येक लघु नाम भी सदस्य के मध्य भी अद्वितीय होना चाहिए)
i		
ii		

5. हम एतदद्वारा वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विशिष्टताओं के अनुसार हम अपने कारोबारी परिसर में अपनी लागत पर अपेक्षित आईटी और संचार अवसंरचना स्थापित करेंगे ताकि एनडीएस-सीएएलएल के लिए हमारे सम्पर्क और सहज संचालन की सुविधा रहे।

6. हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व-लिखित सहमति लिए बिना एनडीएस-सीएएलएल

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के किसी भी भाग को मूव/शिफ्ट/रिलोकेट/ट्रांस्फर/रेपलिकेट/डुप्लिकेट नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं कि जब भी हमें सूचित किया जाएगा तो हम अपनी लागत पर उक्त उपकरणों को नवीकृत, अपग्रेड या बदलने का काम करेंगे। हम यह भी वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व-लिखित सहमति के बिना हम सॉफ्टवेयर /हार्डवेयर को नवीकृत, अपग्रेड या बदलने का काम नहीं करेंगे।

7. हम जानते हैं कि अन्य उचित व्यवस्थाओं का सृजन होने तक हम एनडीएस-सीएएलएल एडमिन सृजित ईओडी रिपोर्ट को सीसीआईएल के रिपोर्ट सर्वर से डाउनलोड करनी होंगी।

8. हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि –

(क) हम आरबीआई के नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के सक्रिय सदस्य हैं;

(ख) हम आरबीआई के आरटीजीएस सिस्टम के श्रेणी 'ए' के सदस्य हैं;

(ग) हम जानते हैं कि एनडीए-सीएएलएल की हमारी सदस्यता आरबीआई एनडीएस और आरटीजीएस की हमारी सदस्यता के साथ सह-समापक होगी;

(घ) सभी नियामक अपेक्षाओं का पूरा अनुपालन किया जा रहा है और अनुपालन नहीं करने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है;

(ङ) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियां नियत हैं;

(च) किसी भी सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा अनर्हक होने का कोई आदेश या इस प्रभाव का कोई अन्य आदेश हमारे लिए लागू नहीं है;

(छ) एनडीएस-सीएएलएल की सदस्यता हेतु अनुरोध करने से पहले हमने अपने आंतरिक नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित अनिवार्य अनुमोदन(नों) प्राप्त कर लिए हैं;

(ज) हम एनडीएस-सीएएलएल से संबंधित 'निदेशक सिद्धांतों' को पढ़ और समझ चुके हैं। हम एनडीएस-सीएएलएल के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, सिद्धांतों, शर्तों और निबंधनों से आबद्ध रहेंगे और समय-समय पर ऐसे सभी यथा संशोधित नियम, विनियम, सिद्धांत, शर्त और निबंधन हमारे लिए बाध्यकारी होंगे;

(झ) हम आरबीआई के साथ अपने सभी पत्राचारों में अपनी एनडीएस-सीएएलएल सदस्य संख्या और संबंधित एनडीएस-सीएएलएल प्रयोक्ता संख्या का उल्लेख करेंगे जो हमें एनडीएस-सीएएलएल में अभिगम प्रदान करते समय आबंटित की गई है;

(ञ) रिज़र्व बैंक और/या इसका कोई भी पदाधिकारी किसी ऐसी हानि या नुकसान या परिणामों के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा जो हमारी एनडीएस-सीएएलएल सदस्य संख्या और/या एनडीएस-सीएएलएल प्रयोक्ता संख्या के अप्राधिकृत और/या गलत उपयोग के कारण हो सकते हैं ;

(ट) एनडीएस-सीएएलएल, इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और/या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में हमारा या हमारे किसी पदाधिकारी का कोई अधिकार, हक या रुचि नहीं होगें;

(ठ) हम जानते हैं कि एनडीएस-सीएएलएल हम केवल अपनी तरफ से ही आर्डर दे सकते हैं और एनडीएस-सीएएलएल पर अपने द्वारा किए गए सभी भावों के लिए और साथ ही एनडीएस-सीएएलएल पर निष्पादित सभी सौदों के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे;

(ड) हमारे पास स्पष्ट और समेकित अभिगम नियंत्रण नीतियां, प्रणाली और पद्धतियां हमारे संगठन में नियत हैं और ये पूरी तरह से लागू हैं और इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु इनकी सतत निगरानी की जाती है;

(ढ) हम अपने किसी भी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति(यों)/प्रतिष्ठान(नों) को ऐसी अनुमति नहीं देंगे कि वे –

i. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरबीआई द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करें;
ii. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरबीआई द्वारा अनुमोदित वर्कस्टेशन(नों) के अलावा किसी अन्य उपस्कर पर नहीं करेंगे
iii. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर को कॉपी, इसमें परिवर्तन, संशोधन नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराएंगे
iv. इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से करें
v. किसी अप्राधिकृत लोकेशन पर वर्कस्टेशन पर संस्थापना या परिचालन करें

(ण) इस सॉफ्टवेयर का बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रिज़र्व बैंक का रहेगा और इसका कोई भी अप्राधिकृत उपयोग उल्लंघन का कृत्य माना जाएगा और तदनुसार उससे निपटा जाएगा।

9. हम यह भी वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित और मंगाई गई सभी जानकारी/प्रलेख रिज़र्व बैंक को प्रदान करेंगे और सभी विलेखों, वचनबद्धताओं, क्षतिपूर्ति और/या बॉन्ड का निष्पादन, उन पर हस्ताक्षर और अभिदान करेंगे।

10. हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा जानकारी दी गई हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य, सही और सम्पूर्ण है। यदि उक्त में से कोई भी अभिकथन मिथ्या, अनुचित, गलतबयानी का पाया जाता है या किसी भी वचनबद्धता या निर्धारित शर्त का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक जो भी ठीक समझे वह कार्रवाई करेगा जिसमें हमारी एनडीएस सदस्यता का समापन भी शामिल है।

11. हम इसके द्वारा यह भी वचन देते हैं कि उक्त तथ्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने / हमारी जानकारी में आने, जो भी स्थिति पहले हो, के 15 दिन के भीतर इसकी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे।

स्थान : ----------

तारीख : [ट्रेजरी प्रमुख]

नाम

पदनाम

अनुलग्नक-IV: इनफिनेट सदस्यता हेतु आवेदन का फार्म

ए. इनफिनेट सदस्यता हेतु आवेदन

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर>

(वित्तीय संस्थान का नाम और पता)

तारीख:

स्थान :

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई - 400 001

महोदय/महोदय

इनफिनेट की सदस्यता हेतु आवेदन

हम एतदद्वारा इनफिनेट की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं। हम बिना किसी शर्त के वचन देते हैं कि :

i. भारतीय वित्तीय नेटवर्क सदस्यता विनियमावली, 2001 से आबद्ध रहेंगे

ii. लाइसेन्सिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित इन विनियमों और शर्तों का अनुपालन करेंगे

iii. सुनिश्चित करेंगे कि अपनी किसी भी अनुषंगी सहित किसी अन्य संस्थान को इनफिनेट का अभिगम नहीं दें

iv. इनफिनेट के प्रयोग के दौरान हमें अन्य सदस्यों की जो जानकारी मिलेगी उस बारे में गोपनीयता रखेंगे और ऐसी जानकारी का कोई उपयोग नहीं करेंगे।

भवदीय,

( )

बी. आवदेक द्वारा दी जाने वाली बचनबद्धता

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर>

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई - 400 001

महोदय / महोदया

हम एतदद्वारा इनफिनेट की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं। हम बिना किसी शर्त के वचन देते हैं कि :

1. रिज़र्व बैंक/भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और सहबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) द्वारा यथा निर्धारित तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और इनके दिशानिदेशों से आबद्ध रहेंगे
2. सेवा प्रदाता के साथ सेवा स्तरीय करार करेंगे
3. इनफिनेट का उपयोग करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा लगाए गए प्रभारों का भुगतान करेंगे

भवदीय

( )

सी. प्रलेखों की जांचसूची

सहकारी बैंकों को निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे

क्रमांक	प्रलेख
1.	इनफिनेट सदस्यता लेने के लिए बोर्ड संकल्प की प्रतिलिपि
2.	विद्यमान आईटी अवसंरचना का विवरण
3.	बैंकिंग लाइसेन्स की प्रतिलिपि

अनुलग्नक-V: आरटीजीएस सदस्यता हेतु आवेदन का फार्म

ए. आरटीजीएस सदस्यता – नियमित सहभागी/सीमित सहभागी

1. आरटीजीएस की सदस्यता हेतु आवेदन

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर>

(संस्थान का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता)

तारीख : _____

स्थान : _____

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई - 400 001

महोदय/महोदया

<u>आरटीजीएस की सदस्यता हेतु आवेदन</u>

हम..... (आवेदक संस्थान का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता), एतदद्वारा तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली की सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमें आरटीजीएस प्रणाली में नियमित/सीमित सहभागिता वाले सदस्य के रूप में प्रवेश प्रदान करें।

2. हम अनुसूचित /लाइसेन्सधारी बैंक/प्राइमरी डीलर हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक में हमार चालू खाता सं..... है।

3. हम इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख अग्रेषित कर रहे हैं :

क. इनफिनेट सदस्यता की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि।

नोट: यदि आवेदक इनफिनेट सदस्य नहीं है और भुगतान प्रणाली के लिए इस आवेदन के एक भाग के रूप में इनफिनेट सदस्यता चाहिए तो इसका उल्लेख किया जाए।

ख. एनडीएस-ओएम सदस्यता की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि।

नोट: यदि आवेदक इनफिनेट सदस्य नहीं है और भुगतान प्रणाली के लिए इस आवेदन के एक भाग के रूप में इनफिनेट सदस्यता चाहिए तो इसका उल्लेख किया जाए।

ग. निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता

घ. निर्धारित प्रपत्र में मूल रूप में पॉवर ऑफ एटार्नी

ङ. निर्धारित प्रपत्र में आंतर-दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) करारनामा

च. आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकार देने के लिए निदेशक बोर्ड/नियंत्रक निकाय के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

नोट: संकल्प के लिए जोर नहीं दिया जाए यदि जिस पदाधिकारी/जिन पदाधिकारियों ने आवेदक संस्थान की तरफ से आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं उनके पास वैध पॉवर ऑफ एटार्नी है जिसमें उन्हें संस्थान के नाम से सदस्यता का आवेदन करने का प्राधिकार दिया गया हो।

अथवा

बैंक /प्राइमरी डीलर के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी से आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता प्रदान करने हेतु पत्र, जबकि आरटीजीएस सदस्यता लेने के लिए हमारे निर्णय का अनुमोदन करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की प्रस्तुति बकाया है। हम इस बारे में इस आवेदन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

4. हम आपसे अनुरोध भी करते हैं और तदनुसार आरटीजीएस निपटान खाता और आंतर-दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) प्रयोजनों हेतु विशेष एसजीएल खाता खोलने के लिए अनुलग्नक II (आईडीएल-एसजीएल खाता) में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन करते हैं। उक्त खातों को खोलने और परिचालन के लिए हम बिना किसी शर्त के आपके द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी अन्य परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से यथा निर्धारित शर्तों और निबंधनों को स्वीकार करते हैं।

5. हम बिना किसी शर्त के आपके द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी अन्य परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से यथा निर्धारित शर्तों और निबंधनों को स्वीकार करते हैं

6. हम अनुरोध करते हैं कि उक्त करारनामे की शर्तों के अनुसार आप हमारे लिए आंतर दिवसीय चलनिधि सीमा के लिए स्वीकृति प्रदान करें।

भवदीय

(नाम और पदनाम अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक)

संलग्नक :

3. आरटीजीएस के नियमित या सीमित सहभागी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबंध का प्रपत्र

(लागू राज्य स्टैम्प कानून के अनुसरण में वचनबंध के रूप में स्टैम्पकृत किया जाए)

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई - 400 001

महोदय,

हम....., जिसका गठन ..... के तहत हुआ है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर है (इसके बाद इसका उल्लेख 'सदस्य' के रूप में हुआ है), एतदद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'रिज़र्व बैंक' के रूप में उल्लिखित) के पक्ष में यह वचनबंध निष्पादित करते हैं।

जबकि रिज़र्व बैंक द्वारा आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में अभिगम प्रदान कर रहा है ताकि इनमें उल्लिखित संव्यवहारों के निपटान और इनके साथ संबद्ध या इनके लिए प्रासंगिक मामलों के निपटान को सक्षम किया जा सके।

और जबकि सदस्य ने आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में रिज़र्व बैंक को यह आवेदन दिया है। और जबकि बैंक ने यह सहमति दी है कि इस सदस्य को प्रवेश दिया जाए बशर्ते यह सदस्य रिज़र्व बैंक के पक्ष में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों से आबद्ध रहने का वचनबंध दे ।

इस पर विचार करते हुए कि रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता प्रदान करने की सहमति दी है, यह सदस्य बिना किसी शर्त और विकल्प के निम्नानुसार वचन और सहमति देता है :

i) सदस्य आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों (इसके बाद सम्यक रूप से इनका उल्लेख 'विनियमों' के रूप किया गया है) से आबद्ध रहेगा और इनका अनुपालन करेगा।

ii) सदस्य ऐसे सभी विलेखों, प्रलेखों, करारनामों, बॉन्डों और/या वचनबंधों का निष्पादन और हस्ताक्षर करेगा जो इन विनियमों के अनुसार समय-समय पर बैंक द्वारा अपेक्षित हों।

iii) सदस्य द्वारा इन विनियमों का कोई भी उल्लंघन करने की स्थिति में सदस्य उन सभी आदेशों या अनुदेशों, ये चाहे दंडात्मक प्रकृति के हों या अन्यथा, का अनुसरण और अनुपालन करेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा या आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 और/या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत गठित स्थायी समिति या इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित और प्राधिकृत किसी भी संस्थान द्वारा

जारी किए गए हैं।

iv) सदस्य यह सहमति देता है कि रिज़र्व बैंक आरटीजीएस प्रणाली पर सदस्यों के जिन संव्यवहारों को यथा आवश्यक समझे गए अनुसार निपटाया या अस्वीकार किया गया उनसे संबंधित जानकारी जब भी रिज़र्व बैंक द्वारा नियामक प्राधिकरणों, सरकार, अन्य एजेन्सियों को देना या प्रकट करना या प्रसरण करना रिज़र्व बैंक के पूर्णतया विवेकाधीन रहेगा।

v) सदस्य के कार्यालय परिसर में स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए रिज़र्व बैंक को जिम्मेदार या इसका भागी नहीं ठहराया जाएगा। रिज़र्व बैंक को हर समय यह अधिकार रहेगा कि सदस्य के पास, उसकी प्राइमरी साइट और आपदा रिकवरी साइट दोनों ही स्थलों पर, एनडीए-ओएम एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर चलाने वाले कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण करे। सदस्य यह सहमति देता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई विसंगतियों को तत्काल दूर करेगा और सुझावों के कार्यान्वयन पर करेगा।

vi) रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा सदभावनापूर्वक किए गए किसी कार्य या आरटीजीएस प्रणाली में प्रयुक्त रिज़र्व बैंक की कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क या किसी अन्य उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित) के गलत काम करने या खराब होने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण सदस्य या इसके किसी ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति को हुई हानि, यदि हो, होती है तो रिज़र्व बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

vii) रिज़र्व बैंक को यह स्वतंत्रता रहेगी कि आरटीजीएस प्रणाली के सदस्य के रूप में इस सदस्य की निरंतरता के बारे में समीक्षा करे, यदि रिज़र्व बैंक के अभिमत में कोई ऐसी घटना हुई हो या घटना होने की संभावना हो जिसमें संबंधित सदस्य द्वारा रिज़र्व बैंक के हितों या रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी नीति को प्रत्यक्ष या किसी अन्य प्रकार से प्रभावित किया गया हो या प्रभावित करने की संभावना हो। इस बारे में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और सदस्य के लिए बाध्यकारी होगी।

viii) सदस्य सहमति देता है कि आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 और/या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किसी अनुदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में उसकी सदस्यता निलंबन या समापन की भागी होगी।

ix) सदस्य के प्रबंधन वर्ग में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि जो भी जरूरी समझे वह जानकारी, डाटा, प्रलेख, आदि की मांग करे और सदस्य वह सब रिज़र्व बैंक को देगा और इस बारे में सभी जरूरी सहयोग करेगा।

x) सदस्य सहमति देता है कि वह– बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, जो प्रमाणन देने वाला प्राधिकरण है, के द्वारा या स्थायी समिति या रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त डिजिटल प्रमाणपत्र का उपयोग करेगा।

xi) सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किए गए संव्यवहार विनियमों के अनुसार आरटीजीएस के तहत यथार्थ, वैध और योग्य हैं। सदस्य बिना किसी शर्त और विकल्प के यह सहमति देता है कि आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से उसके द्वारा प्रस्तुत संव्यवहार उसके लिए बाध्यकारी होंगे। बाद में किसी भी कारण से सदस्य इस संव्यवहार/इन संव्यवहारों से इनकार नहीं करेगा और रिज़र्व बैंक पूरी तरह से सदस्य के जोखिम और जिम्मेदारी पर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों पर कार्य करते हुए संव्यवहार को आगे बढ़ा देगा।

xii) सदस्य ऐसे सभी दावों, मांगों, कार्रवाइयों, कानूनी कार्यवाहियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों, इन्हें किसी भी नाम से कहा जाए, के बदले में रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्त करता रहेगा जो रिज़र्व बैंक या इसके कर्मचारियों के विरुद्ध लाए जाते हैं या निपटान के लिए सदस्य से इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त संदेशों/संव्यवहारों का प्रयोग करने के कारण रिज़र्व बैंक या इसके कर्मचारियों को करने, चुकाने या उठाने पड़ें हो, इनमें वे भी शामिल हैं जो गलत या अनभिप्रेत संदेश प्रवाह या किसी आईटी या नेटवर्क संबंधी मालवेयर, अपक्रिया या सदस्य के किसी ऐसे ही एक्शन के कारण हुए हों, चाहे वे किसी भी चैनल यथा – संरचनाबद्ध वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस)/स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेट (एसआईडीएसपीएल) का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य संदेश प्रणाली का प्रयोग करते हुए भेजे गए हों। डुप्लीकेट संदेश/संव्यवहारों से पैदा होने वाले परिणामों के लिए सदस्य ही पूरी तरह से भागी होगा।

xiii) रिज़र्व बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सदस्य एतदद्वारा यह सहमति देता है कि इन सुविधाओं का प्रयोग सदस्य या सदस्य के किसी कर्मचारी, एजेन्ट, नौकर या प्रतिनिधि के तरफ से करते समय किसी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी हानि, नुकसान, लागत, व्यय के कारण रिज़र्व बैंक को होने वाली किसी भी हानि/नुकसान के बदले में सदस्य द्वारा रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी और रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्त बनाए रखेगा।

xiv) सदस्य यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि जब उसकी प्राइमरी साइट कार्य नहीं कर रही होती है तो उस समय आपदा रिकवरी साइट कार्य करती है।

xv) सदस्य और रिज़र्व बैंक या आरटीजीएस प्रणाली के किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचनबद्धता के परिणामों के विवेचन, अर्थ या इसके प्रभाव के संबंध में या सदस्य/यों या रिज़र्व बैंक के अधिकारों और दायित्वों/देयताओं या किसी अन्य मामले को लेकर कोई विभेद या विसंगति पैदा होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

भवदीय

( )

तारीख : प्राधिकृत पदाधिकारी

स्थान : कम्पनी की सील

4 पॉवर ऑफ एटार्नी, मूल रूप में, निर्धारित प्रपत्र में

पॉवर ऑफ एटार्नी

(राज्य स्टैम्प अधिनियम के तहत पॉवर ऑफ एटार्नी के रूप में स्टैम्पकृत किया जाए)

यह पॉवर ऑफ एटार्नी दिनांक..... माह..... सन 20.... को ..... के तहत पंजीकृत/निगमित /गठित ....., द्वारा निष्पादित की गई है, जिनका पंजीकृत कार्यालय ..... पर है।

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, इसके बाद जिसे रिज़र्व बैंक कहा गया है, ने सहभागी सदस्यों के बीच ऑन लाइन तत्काल सकल निपटान सुविधा देने के लिए आरटीजीएस प्रणाली तैयार की है।

और जबकि हमने इस आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और बैंक ने हमें आरटीजीएस प्रणाली में नियमित / सीमित सहभागिता सदस्य के तौर पर प्रवेश दिया है।

और जबकि रिज़र्व बैंक ने संव्यवहारों के निपटानों हेतु आरटीजीएस कारोबारी दिवस के दौरान आंतर-दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) की सुविधा देने की सहमति दी है।

और जबकि हमने रिज़र्व बैंक के पक्ष में वचनबंध निष्पादित करते हुए यह सहमति दी है कि हम समय-समय पर यथासंशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियम, 2013 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों के अनुदेशों से आबद्ध रहेंगे और आडीएल सुविधा प्रदान करने के लिए निबंधनों और शर्तों के लिए सहमति का करारनामा भी किया है।

और जबकि इस करारनामे के निबंधनों के अनुसार हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम दिनांकित केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों और/या खाजाना बिलों और/या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रतिभूति को एक मनोनीत आईडीएल-एसजीएल खाते में रिज़र्व बैंक को अंतरित करें जिससे आईडीएल सुविधा प्राप्त की जा जानी है।

और जबकि परिचालनगत सुविधा हेतु और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिज़र्व बैंक को ये प्रतिभूतियों अंतरित करने के लिए अपेक्षित प्रलेखों को आरटीजीएस कारोबारी दिवस आरंभ होने से पहले ही निष्पादि किया जाना है।

और जबकि आईडीएन प्रदान करने के लिए करारनामे के तहत रिज़र्व बैंक को अंतरित प्रतिभूतियों को इस बारे में समय-समय पर यथा संशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियम, 2013 और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों, आदि में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार आरटीजीएस कारोबारी दिवस के समापन पर हमें वापस अंतरित कर दिया जाता है। और जबकि हमारे लिए यह व्यावहारिक नहीं होगा कि प्रत्येक आरटीजीएस कारोबारी दिवस के आरंभ और अंत में आवश्यक प्रलेखों को निष्पादित करें।

अब इस विलेख में यह साक्षित किया जाता है कि हम रिज़र्व बैंक को एतदद्वारा नामित, संघटित और नियुक्त करते हैं कि और तथ्यत: तथा कानूनन हमारे नाम और हमारी तरफ यह हमारा सही और कानूनी एटार्नी (इसके बाद 'हमारा/हमारे एटार्नी' के रूप में उल्लिखित) रहेगा से और निम्नलिखित कार्य, व्यवहार, मामले और काम निष्पादित करेगा :

i) लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक मुम्बई या अन्यत्र में हमारे आईडीएल-एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों को हमारे द्वारा दिए आरटीजीएस कारोबारी दिवस के आरंभ में या इसके दौरान आरबीआई (आईडीएल एसजीएल) खाते को समय-समय पर दिए जाने वाले स्थायी अनुदेशों से अंतरण और डिलीवरी के प्रयोजन से, हमारे नाम से और हमारी तरफ से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड या फार्म या प्रलेख पर हस्ताक्षर और/या ऐसी लिखतों, प्रलेखों या प्राधिकार पर हस्ताक्षर करना।

ii) लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक मुम्बई या अन्यत्र में हमारे आईडीएल-एसजीएल खाते में आईडीएल व्यवस्था के तहत प्रतिभूतियों का अंतरण और डिलीवरी आरटीजीएस कारोबारी दिवस के आरंभ में या इसके दौरान या किसी अन्य परावर्ती दिवस पर करे और इस प्रयोजन के लिए हमारे नाम में और यथा अपेक्षा अनुसार हमारी तरफ से ऐसी लिखतों, प्रलेखों या प्राधिकारों पर हस्ताक्षर और/या इनका निष्पादन करे और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड या फार्म या प्रलेख को सत्यापित करे।

iii) . आरटीजीएस कारोबारी दिवस के दौरान आईडीएल सुविधा प्रदान करने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य और चीजें और इस प्रकार प्रदत्त किसी भी आईडीएल की चुकौती आरटीजीएस कारोबारी दिवस के समापन से पहले करने में हमारी विफलता की स्थिति में प्रतिभूतियां प्रत्यांकित नहीं किए जाने पर निपटान की स्कीम के अनुसार बैंक जैसे उचित समझे उस तरीके से ऐसी प्रतिभूतियों का निपटान करे।

iv) अपने किसी भी पदाधिकारी को ऊपर बताए गए सभी प्रलेखों पर हस्ताक्षर और इनके निष्पादन के लिए और अन्य कार्यों या चीजों के लिए प्राधिकृत करे, जो आरटीजीएस प्रणाली के सहज परिचालन के लिए अनिवार्य हैं।

और हम इसके द्वारा सहमति देते हैं कि इन कागजात के माध्यम से हमने अपने एटार्नी को जो अधिकार दिए हैं उन्हें हमारी तरफ से वस्तुतः किए गए सभी संव्यवहारों के लिए हम आबद्ध रहेंगे और हमारे एटार्नी जो भी कार्य करेंगे या करने का आशय रखते हैं या इन कागजात के आधार पर किए जाने के लिए निर्धारित हैं उन सभी की अभिपुष्टि और पुष्टि करते हैं।

और यह पॉवर ऑफ एटार्नी हमारी आरटीजीएस सदस्यता के साथ सह-समापक होगी।

कृते और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
..... की तरफ से
मेरे समक्ष
नोटरी पब्लिक

5 निर्धारित प्रपत्र में आंतर दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) करारनामा

आरटीजीएस सदस्य – नियमित सहभागी और सीमित सहभागी से लिए जाने वाले करारनामे का प्रपत्र
(लागू स्टैम्प अधिनियम के अनुसार करारनामे के रूप में स्टैम्प किया जाए)

आंतर-दिवस चलनिधि समर्थन देना – भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिनियम, 1934 की धारा 17(8)

हम, ... जिनका निगमन/गठन ..... के तहत हुआ है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर है, भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके पश्चात 'रिज़र्व बैंक' के रूप में उल्लिखित) के पक्ष में निम्नानुसार वचन देते हैं।

जबकि हमें आरटीजीएस सदस्यता "नियमित /सीमित सहभागिता" प्रदान कर दी गई है।

और जबकि समय-समय पर यथासंशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियम, 2013 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों के अनुदेशों जिन्हें सम्यक रूप से इसके बाद 'विनियम' का गया है।

और जबकि रिज़र्व बैंक समय-समय पर अपने विवेकानुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(8) के तहत हमें आंतर-दिवसीय चलनिधि सुविधा प्रदान करने की सहमत है, ताकि आरटीजीएस संव्यवहारों में निपटान की सुविधा रहे।

और जबकि हमने सहमति दी है कि उक्त संव्यवहारों को जैसा कि विनियमों में निर्धारित है आरटीजीएस कारोबारी दिवस के समापन से पहले ही या फिर आपकी मांग पर चुकता या रिवर्स किया जाए। इस पर विचार करते हुए कि रिज़र्व बैंक ने आंतर-दिवसीय चलनिधि सुविधा (इसके बाद आईडीएल के रूप में उल्लिखित) ऊपर बताए अनुसार प्रदान करने की सहमति दी है हम अशर्त और अविकल्प रूप से निम्नलिखित की सहमति का वचन देते हैं :

5.3. हम रिज़र्व बैंक से आईडीएल सुविधा उतनी ही सीमा के भीतर लेंगे जितनी हमें रिज़र्व बैंक द्वारा आरटीजीएस संव्यवहारों का निपटान करने के प्रयोजन से मंजूर की गई है और इस पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में निर्धारित निबंधन और शर्तें लागू होंगी।

5.4. आरटीजीएस कारोबारी दिवस के दौरान किसी भी समय पर आईडीएल की बकाया शेषराशियों को हमारे आरटीजीएस निपटान खाते में निधियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित और अनुरक्षित आरटीजीएस प्रणाली द्वारा स्वत: रिवर्स कर दिया जाएगा।

5.5. यदि आईडीएल संव्यवहारों से भी कोई बकाया शेषराशि बनती है तो वह आरटीजीएस कारोबारी दिवस के समापन से पहले या रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर हमारे द्वारा चुकता करने योग्य होगी।

5.6. हमारे द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक आईडीएल संव्यवहार पर देय संव्यवहार लागत या प्रभार, उस दर और उन निबंधनों और शर्तों पर होंगे जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्णीत हों, जिनका हम भुगतान करेंगे।

5.7. हमारे आईडीएल खाते में संव्यवहारों के लिए हमारे द्वारा देय लागतों और प्रभारों सहित देय रकम के लिए रिज़र्व बैंक अपने मुम्बई कार्यालय या अपने किसी भी अन्य कार्यालय/शाखा में हमारे चालू खाते को डेबिट करेगा।

5.8. आईडीएल संव्यवहारों में आरटीजीएस निपटान खाते में बकाया शेषराशियां आरबीआई अधिनियम के अन्य उपबंधों /धाराओं के तहत अन्य प्रयोजनों के लिए हमें दिए गए ऋणों, यदि हों तो, से अलग और विभक्त रहेंगी।

5.9. जब किसी भी आरटीजीएस कारोबारी दिवस को हमें आईडीएल सुविधा की आवश्यकता होगी तो हम वचन देते हैं कि उस आरटीजीएस कारोबारी दिवस के आरंभ में ही रिज़र्व बैंक को पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां या खजाना बिल या रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित पात्र प्रतिभूतियां अंतरित करेंगे और उस आरटीजीएस कारोबारी दिवस के समापन तक अपने पास रखी जाएंगी और उसी दिन के समापन पर ये प्रतिभूतियां आगे वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हमें वापस अंतरित और सुपुर्द कर दी जाएंगी।

5.10. किसी भी आरटीजीएस कारोबारी दिवस के आरंभ में रिज़र्व बैंक को अंतरित और सुपुर्द की गई प्रतिभूतियों को को तब तक हमें वापस अंतरित नहीं किया जाएगा जब तक हमारे द्वारा रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित की चुकौती नहीं कर दी जाती है :

5.10.1 हमें दी गई आईडीएल सहायता के संबंध में समस्त धन जो हमारे द्वारा रिज़र्व बैंक को देय हो जाता है;

5.10.2 उक्त आईडीएल संव्यवहारों की लेनदेन लागतों को जो इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर होती हैं;

5.10.3 उक्त-वर्णित प्रतिभूतियों या इनके किसी भाग के विक्रय या विक्रय के प्रयास में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सभी व्ययों की,

5.10.4 रिज़र्व बैंक से आईडीएल समर्थन हेतु उक्त प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और/ या इनके संबंध में रिज़र्व बैंक हमसे वसूल करने के लिए कानून के अनुसार हकदार है, यदि होती हैं, तो वे सभी लागत, प्रभार और व्यय;

5.11. हम यह भी सहमति देते हैं कि हम रिज़र्व बैंक में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूतियों के संबंध में समय-समय पर यथा निर्धारित मार्जिन रखेंगे ताकि इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में से निर्दिष्ट मार्जिन को घटाने के बाद उस राशि से कम नहीं हो जो प्रदत्त आईडीएल के लिए बैंक को देय कुल रकम, प्रभारों और लागतों से कम नहीं हो। यदि किसी भी समय पर रिज़र्व बैंक द्वार निर्धारित मार्जिन में कोई कमी आती है तो हम रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर तत्काल ही इसमें इतनी प्रतिभूतियों का अंतरण और सुपुर्दगी करेंगे जो इस कमी को कवर करें या भुगतान करते हुए शेषराशि को कम करेंगे ताकि हमारे द्वारा रिज़र्व बैंक के पास बरकरार रखने के लिए अपेक्षित मार्जिन रकम को समुचित बनाए

5.12. रिज़र्व बैंक को अंतरित और सुपुर्द की जाने वाली प्रतिभूतियां किसी भी पूर्व-प्रभार या ऋणभार से मुक्त होनी चाहिए।

5.13. इसके अनुसरण में हमारे द्वारा किए गए आईडीएल संव्यवहारों के संबंध में रिज़र्व बैंक को हमारे द्वारा देय किसी भी रकम के और इस आईडीएल संव्यवहार के संबंध में निर्धारित निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर हम सहमति देते हैं कि रिज़र्व बैंक, जबकि ऐसा करने के लिए इस पर कोई दायित्व नहीं है, इसके द्वारा प्रदत्त आईडीएल समर्थन के लिए इनको देय रकम के लिए हमारे चालू खाते/खातों को डेबिट करे। हम यह भी सहमति और वचन देते हैं कि उक्त आंतर-दिवसीय चलनिधि समर्थन के संबंध में निर्धारित निबंधनों और शर्तों क अनुपालन में चूक करने पर हमारे ऊपर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर लगाए गए मौद्रिक या गैर-मौद्रिक जुर्मानों का अनुपालन करेंगे। उक्त संव्यवहारों के कारण नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में कोई चूक होने के मामले में चूक के बारे में उस समय लागू कानून के प्रावधानों या रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी संगत परिपत्रों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण किया जाएगा।

5.14. यदि उक्त आईडीएल समर्थन प्रभारों और लागतों की रकम का भुगतान रिज़र्व बैंक को मांग पर नहीं किया जा पाता है या किसी भी समय मांग किए जाने पर हम उक्त निर्धारित मार्जिन को पुन: हासिल करने में विफल रहते हैं, तो बैंक के लिए यह विधिसम्मत होगा कि बिना कोई अन्य नोटिस दिए तत्काल ही या इसके बाद किसी भी समय उक्त सभी अथवा किसी भी प्रतिभूति का विक्रय करे और इसके तहत देय रकम हेतु चलनिधि के लिए इस प्रकार के विक्रय से हुए निवल धनार्जन का प्रयोग करते हुए समायोजन करे और हम इस प्रकार के विक्रय के लिए बैंक के खाते को बैंक द्वारा प्राप्त की गई रकम की परिशुद्धता का पर्याप्त प्रमाण मानने की सहमति देते हैं, जिसमें इस विक्रय के संबंध में दिए जाने वाले प्रभार और व्यय भी शामिल हैं। यदि इस प्रकार से प्राप्त की गई निवल रकम इसके तहत देय सम्पूर्ण रकम को चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो हम सहमति देते हैं कि रिज़र्व बैंक को तत्काल ही, इनसे सूचना प्राप्त होते ही, इस बारे में कम पड़ रही रकम को चुकता करेंगे। उक्त संव्यवहारों के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में चूक होने के मामले में इस चूक का नियमन तत्समय लागू कानूनी प्रावधानों द्वारा या इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य संगत परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा।

5.15. हम यह भी सहमति और वचन देते हैं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडीएल संव्यवहारों के तहत बकाया कुल रकम हमारे लिए समय-समय पर निर्धारित आईडीएल समर्थन सीमा से अधिक नहीं होने पाए।

5.16. हम यह भी सहमति देते हैं कि हम, समय-समय पर, बिना किसी आपत्ति के और जब भी रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित होगा तो हमारे द्वारा रिज़र्व बैंक से प्राप्त की गई आंतर-दिवसीय चलनिधि सुविधा के प्रयोग के बारे में और प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमसे इस प्रस्तुति की अपेक्षा है।

5.17. हम यह भी बिना किसी शर्त के सहमति देते हैं कि उक्त प्रयोजनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अपेक्षित अन्य प्रलेखों को मांगे जाने पर निष्पादित करेंगे।

5.18. हम यह भी सहमति और वचन देते हैं कि इन प्रतिभूतियों को जिस व्यवस्था के अनुसार रिज़र्व बैंक को अंतरित और सुपुर्द किया जाएगा, और जिस व्यवस्था के तहत इसकी धारित में रहेंगी और /या इसके द्वारा हमें अंतरित और सुपुर्द की जाएंगी उन व्यवस्थाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

5.19. हमारे हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनके हस्ताक्षर नीचे भी हैं, के पास अपेक्षित पॉवर ऑफ एटार्नी (प्रतिलिपि संलग्न) है, जो हमारे संस्थान/संगठन में ऐसे सक्षम प्राधिकारियों जारी की गई है, इनके द्वारा निष्पादित करारनामे हमारे संगठन/संस्थान के लिए बाध्यकारी होंगे।

कृते और .....की तरफ से

(आरटीजीएस सदस्य का नाम)
(प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम सहित)

दिवस आरंभ पर निधि अंतरण हेतु स्थायी अनुदेश

< संस्थान के पत्रशीर्ष पर >

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
जमा लेखा विभाग, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्य भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई

दिनांक :

महोदय,

आरटीजीएस निपटान खाते के निधि व्यवस्था/शून्यीकरण हेतु स्थायी अनुदेश

1. हमारे द्वारा आपके पास दिनांक..... को दिए गए स्थायी अनुदेश को संशोधित करने हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आरटीजीएस प्रणाली में सहभागिता के लिए आपके पास खोले गए हमारे निपटान खाते के लिए केवल रु..... निधि की व्यवस्था हमारे चालू खाता सं..... से आरटीजीएस का दिवस आरंभ होने पर कर ली जाए।

2. अन्य निबंधनें और शर्तें वही रहेंगी।

हस्ताक्षर
चालू खाते के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता /हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा
कम्पनी की सील सहित

भुगतान प्रणाली परिचालकों /क्लीयरिंग हाउस की सदस्यता

1. आरटीजीएस सदस्यता हेतु आवेदन – भुगतान प्रणाली परिचालक / क्लीयरिंग हाउस
< संस्थान के पत्रशीर्ष पर >

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित क्लीयरिंग हाउस या क्लीयरिंग एजेन्सी के अलावा)

आरटीजीएस की सदस्यता हेतु आवेदन
(संस्थान का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता)

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई - 400 001

तारीख :
स्थान :

महोदय

आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता हेतु आवेदन

हम.... . (आवेदक संस्थान का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता), एतदद्वारा आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमें आरटीजीएस प्रणाली में आरटीजीएस प्रणाली विनियम, 2013 की शर्तों के तहत भुगतान प्रणाली परिचालक या क्लीयरिंग हाउस के सदस्य के रूप में प्रवेश प्रदान करें।

2. हमारा चालू खाता सं. ..... भारतीय रिज़र्व बैंक में है।

3. हम इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख अग्रेषित कर रहे हैं:

क) निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता

ख) इनफिनेट सदस्यता की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

ग) एनडीए-ओएम सदस्यता की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, जहां भी अनुमेय हो

घ) आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकार देने के लिए निदेशक

बोर्ड/नियंत्रक निकाय के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

ङ) इस आशय की वचनबद्धता कि सेबी/नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों और क्लीयरिंग हाउस / क्लीयरिंग एजेन्सी के नियमों / उपनियमों में आरटीजीएस सदस्यता लेने के लिए निषेध नहीं हैं।

च) संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

छ) प्रयोजकता /एसओसी व्यवस्था के विवरण

नोट: संकल्प के लिए जोर नहीं दिया जाए यदि जिस पदाधिकारी/जिन पदाधिकारियों ने आवेदक संस्थान की तरफ से आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं उनके पास वैध पॉवर ऑफ एटार्नी है जिसमें उन्हें संस्थान के नाम से सदस्यता का आवेदन करने का प्राधिकार दिया गया हो।

अथवा

बैंक /प्राइमरी डीलर के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी से आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता प्रदान करने हेतु पत्र, जबकि आरटीजीएस सदस्यता लेने के लिए हमारे निर्णय का अनुमोदन करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की प्रस्तुति बकाया है। हम इस बारे में इस आवेदन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

4. हम बिना किसी शर्त के आपके द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी अन्य परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से यथा निर्धारित शर्तों और निबंधनों को स्वीकार करते हैं।

भवदीय

(नाम और पदनाम अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक)

2. आरटीजीएस भुगतान प्रणाली परिचालकों या क्लीयरिंग हाउस सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबंध का प्रपत्र

(लागू राज्य स्टैम्प कानून के अनुसरण में वचनबंध के रूप में स्टैम्पकृत किया जाए)

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुम्बई - 400 001

महोदय,

हम....., जिसका गठन ..... के तहत हुआ है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर है (इसके बाद इसका उल्लेख 'सदस्य' के रूप में हुआ है), एतदद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद 'रिज़र्व बैंक' के रूप में उल्लिखित) के पक्ष में यह वचनबंध निष्पादित करते हैं।

जबकि रिज़र्व बैंक द्वारा आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में अभिगम प्रदान कर रहा है ताकि इनमें उल्लिखित संव्यवहारों के निपटान और इनके साथ संबद्ध या इनके लिए प्रासंगिक मामलों के निपटान को सक्षम किया जा सके।

और जबकि सदस्य ने आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में रिज़र्व बैंक को यह आवेदन दिया है।

और जबकि बैंक ने यह सहमति दी है कि इस सदस्य को प्रवेश दिया जाए बशर्ते यह सदस्य रिज़र्व बैंक के पक्ष में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा संशोधनों से आबद्ध रहने का वचनबंध दे ।

इस पर विचार करते हुए कि रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता प्रदान करने की सहमति दी है, यह सदस्य बिना किसी शर्त और विकल्प के निम्नानुसार वचन और सहमति देता है :

i) सदस्य आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित और इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों (इसके बाद सम्यक रूप से इनका उल्लेख 'विनियमों' के रूप किया गया है) से आबद्ध रहेगा और इनका अनुपालन करेगा।

ii) सदस्य ऐसे सभी विलेखों, प्रलेखों, करारनामों, बॉन्डों और/या वचनबंधों का निष्पादन और हस्ताक्षर

करेगा जो इन विनियमों के अनुसार समय-समय पर बैंक द्वारा अपेक्षित हों।

iii) सदस्य द्वारा इन विनियमों का कोई भी उल्लंघन करने की स्थिति में सदस्य उन सभी आदेशों या अनुदेशों, ये चाहे दंडात्मक प्रकृति के हों या अन्यथा, का अनुसरण और अनुपालन करेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा या आरटीजीएस प्रणाली विनियमन, 2013 या इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित और प्राधिकृत किसी भी संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं।

iv) सदस्य यह सहमति देता है कि रिज़र्व बैंक आरटीजीएस प्रणाली पर सदस्यों के जिन संव्यवहारों को यथा आवश्यक समझे गए अनुसार निपटाया या अस्वीकार किया गया उनसे संबंधित जानकारी जब भी रिज़र्व बैंक द्वारा नियामक प्राधिकरणों, सरकार, अन्य एजेन्सियों को देना या प्रकट करना या प्रसरण करना रिज़र्व बैंक के पूर्णतया विवेकाधीन रहेगा।

v) सदस्य के कार्यालय परिसर में स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए रिज़र्व बैंक को जिम्मेदार या इसका भागी नहीं ठहराया जाएगा। रिज़र्व बैंक को हर समय यह अधिकार रहेगा कि सदस्य के पास, उसकी प्राइमरी साइट और आपदा रिकवरी साइट दोनों ही स्थलों पर, एनडीए-ओएम एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर चलाने वाले कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण करे। सदस्य यह सहमति देता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई विसंगतियों को तत्काल दूर करेगा और सुझावों के कार्यान्वयन पर करेगा।

vi) रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा सदभावनापूर्वक किए गए किसी कार्य या आरटीजीएस प्रणाली में प्रयुक्त रिज़र्व बैंक की कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क या किसी अन्य उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित) के गलत काम करने या खराब होने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण सदस्य या इसके किसी ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति को हुई हानि, यदि हो, होती है तो रिज़र्व बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

vii) रिज़र्व बैंक को यह स्वतंत्रता रहेगी कि आरटीजीएस प्रणाली के सदस्य के रूप में इस सदस्य की निरंतरता के बारे में समीक्षा करे, यदि रिज़र्व बैंक के अभिमत में कोई ऐसी घटना हुई हो या घटना होने की संभावना हो जिसमें संबंधित सदस्य द्वारा रिज़र्व बैंक के हितों या रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी नीति को प्रत्यक्ष या किसी अन्य प्रकार से प्रभावित किया गया हो या प्रभावित करने की संभावना हो। इस बारे में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और सदस्य के लिए बाध्यकारी होगी।

viii) सदस्य यह सहमति देता है कि आरटीजीएस प्रणाली विनियम, 2013 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी भी स्थिति के होने पर विनियम के अनुसार उसकी सदस्यता निलंबन अथवा समापन की भागी होगी।

ix) सदस्य के प्रबंधन वर्ग में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि जो भी जरूरी समझे वह जानकारी, डाटा, प्रलेख, आदि की मांग करे और सदस्य वह सब रिज़र्व बैंक को देगा और इस बारे में सभी जरूरी सहयोग करेगा।

x) सदस्य सहमति देता है कि वह– बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, जो प्रमाणन देने वाला प्राधिकरण है, के द्वारा या स्थायी समिति या रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त डिजिटल प्रमाणपत्र का उपयोग करेगा।

xi) सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किए गए संव्यवहार विनिमयों के अनुसार आरटीजीएस के तहत यथार्थ, वैध और योग्य हैं। सदस्य बिना किसी शर्त और विकल्प के यह सहमति देता है कि

आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से उसके द्वारा प्रस्तुत संव्यवहार उसके लिए बाध्यकारी होंगे। बाद में किसी भी कारण से सदस्य इस संव्यवहार/इन संव्यवहारों के इनकार नहीं करेगा और रिज़र्व बैंक पूरी तरह से सदस्य के जोखिम और जिम्मेदारी पर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों पर कार्य करते हुए संव्यवहार को आगे बढ़ा देगा।

xii) सदस्य ऐसे सभी दावों, मांगों, कार्रवाइयों, कानूनी कार्यवाहियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों, इन्हें किसी भी नाम से कहा जाए, के बदले में रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्त करता रहेगा जो रिज़र्व बैंक या इसके कर्मचारियों के विरुद्ध लाए जाते हैं या निपटान के लिए सदस्य से इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त संदेशों/संव्यवहारों का प्रयोग करने के कारण रिज़र्व बैंक या इसके कर्मचारियों को करने, चुकाने या उठाने पड़ें हो, इनमें वे भी शामिल हैं जो गलत या अनभिप्रेत संदेश प्रवाह या किसी आईटी या नेटवर्क संबंधी मालवेयर, अपक्रिया या सदस्य के किसी ऐसे ही एक्शन के कारण हुए हों, चाहे वे किसी भी चैनल यथा – संरचनाबद्ध वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस)/स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेट (एसआईडीएसपीएल) का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य संदेश प्रणाली का प्रयोग करते हुए भेजे गए हों। डुप्लीकेट संदेश/संव्यवहारों से पैदा होने वाले परिणामों के लिए सदस्य ही पूरी तरह से भागी होगा।

xiii) रिज़र्व बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सदस्य एतदद्वारा यह सहमति देता है कि इन सुविधाओं का प्रयोग सदस्य या सदस्य के किसी कर्मचारी, एजेन्ट, नौकर या प्रतिनिधि के तरफ से करते समय किसी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी हानि, नुकसान, लागत, व्यय के कारण रिज़र्व बैंक को होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के बदले में सदस्य द्वारा रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी और रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्त बनाए रखेगा।

xiv) सदस्य यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि जब उसकी प्राइमरी साइट कार्य नहीं कर रही होती है तो उस समय आपदा रिकवरी साइट कार्य करती है।

xv) सदस्य और रिज़र्व बैंक या आरटीजीएस प्रणाली के किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचनबद्धता के परिणामों के विवेचन, अर्थ या इसके प्रभाव के संबंध में या सदस्य/यों या रिज़र्व बैंक के अधिकारों और दायित्वों/देयताओं या किसी अन्य मामले को लेकर कोई विभेद या विसंगति पैदा होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

भवदीय

( )
प्राधिकृत पदाधिकारी
कम्पनी की सील
तारीख :
स्थान :

आरटीजीएस सदस्यता हेतु अपेक्षित प्रलेखों की जांचसूची (नियमित सहभागी/सीमित सहभागी)

क्रमांक	अपेक्षित प्रलेख
1.	इनफिनेट सदस्यता की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि
2.	एनडीएस-ओएम सदस्यता की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि
3.	निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता
4.	निर्धारित प्रपत्र में मूल रूप से पॉवर ऑफ एटार्नी
5.	निर्धारित प्रपत्र में आंतर-दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) करारनामा
6.	दिवस आरंभ पर निधि अंतरण हेतु स्थायी अनुदेश
7.	आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकार देने के लिए निदेशक बोर्ड/नियंत्रक निकाय के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

आरटीजीएस सदस्यता हेतु अपेक्षित प्रलेखों की जांचसूची (भुगतान प्रणाली संचालक/क्लीयरिंग हाउस)

क्रमांक	अपेक्षित प्रलेख
1.	इनफिनेट सदस्यता की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि
2.	एनडीएस-ओएम सदस्यता की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि, जहां भी अनुमेय हो
3.	निर्धारित प्रपत्र में वचनबंध
4.	इस आशय की वचनबद्धता कि सेबी/नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों और क्लीयरिंग हाउस / क्लीयरिंग एजेन्सी के नियमों / उपनियमों में आरटीजीएस सदस्यता लेने के लिए निषेध नहीं हैं।
5.	संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
6.	निर्धारित प्रपत्र में आंतर-दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) करारनामा
7.	आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकार देने के लिए निदेशक बोर्ड/नियंत्रक निकाय के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
8.	प्रयोजकता /एसओसी व्यवस्था के विवरण

फार्म एनईएफटी -1ए

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर >

एनईएफटी प्रणाली

संदर्भ सं .... तारीख :

क्षेत्रीय निदेशक
महाराष्ट्र और गोवा
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य भवन,
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुम्बई - 400 001

महोदय / महोदया

एनईएफटी प्रणाली में सहभागिता हेतु आवेदन

हमारा बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध करता है कि एनईएफटी प्रणाली में सहभागिता करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए और हम सहमति देते हैं कि एनईएफटी प्रणाली के लिए प्रक्रियागत दिशानिदेशों से आबद्ध रहेंगे। हमारा बैंक एनईएफटी प्रणाली के लिए प्रक्रियागत दिशानिदेशों के अनुच्छेद 5 (i) और अनुलग्नक IV में दिए गए पात्रता मानदंडों को संतुष्ट करता है और इसके समर्थन में प्रलेखगत साक्ष्य आपके अवलोकन हेतु संलग्न किए जा रहे हैं।

इस प्रणाली में प्रवेश दिए जाने की स्थिति में हम एनईएफटी प्रणाली की तकनीकी और परिचालनगत अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने खाते के माध्यम से निपटान के दायित्वों को पूरा करेंगे।

स्थान : (.....)

आवेदक के नाम, पदनाम और सील सहित हस्ताक्षर

संलग्नक : यथोक्त के अनुसार

कोर बैंकिंग सक्षम शाखाओं की संख्या जो एनईएफटी में सहभागिता कर सकती हैं।

अपेक्षित प्रलखों की जांचसूची

1. आरटीजीएस सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

परिशिष्ट 2 – कवरिंग लैटर और आवेदन फार्म (विकेन्द्रित भुगतान प्रणाली)

विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की सदस्यता हेतु कवरिंग लैटर

<संस्थान के पत्रशीर्ष पर >

प्रेसिडेन्ट
क्लीयरिंग हाउस

महोदय / महोदया

विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियों की सदस्यता हेतु आवेदन[3]

हम एतदद्वारा निम्नलिखित के लिए दिनांक ..... के आरबीआई परिपत्र सं. ..... के अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं :

क. ..... बैंकर्स क्लीयरिंग हाउस के लिए सदस्यता

ख. बैंकिंग विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक में चालू खाता खोलने हेतु[4]

2. अपेक्षित जानकारी और प्रलेखों को संदर्भगत परिपत्र में बताए अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

3. हम घोषणा करते हैं कि दी गई जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य/वर्तमान और सम्पूर्ण है।

भवदीय

हस्ताक्षर : नाम : पदनाम कम्पनी की सील	स्थान तारीख

संलग्नक :

---

3 बैंक भी यूनिफार्म रेग्यूलेशन्स एन्ड रूल्स फॉर बैंकर्स क्लीयरिंग हाउस के अनुलग्नक-I में निर्धारित किए अनुसार क्लीयरिंग हाउस (यूआरआरबीसीएच) के प्रेसिडेन्ट को आवेदन करें, जहां पर बैंक सदस्यता चाहता हो।

4 आरबीआई में चालू खाता उन्हीं केन्द्रों पर सहभागिता के लिए अपेक्षित हैं जहां पर निपटान कर्ता बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक है।

भाग – क : सामान्य जानकारी

1. आवेदक का नाम :

2. स्थिति :

क. लाइसेन्सधारी /लाइसेन्स रहित :

ख. अनुसूचित / गैर-अनुसूचित :

3. पंजीकृत कार्यालय का पता :

4. संबंधित नियामक /पर्यवेक्षी विभाग का नाम :

5. सदस्यता मांगने का प्रयोजन :

6. भुगतान प्रणाली में सहभागिता करने वाली शाखाओं की संभावित संख्या :

7. अपेक्षित लेनदेन की मात्रा / मूल्य (भुगतान प्रणाली-वार):

8. भुगतान प्रणाली/लियां जिनमें आवेदक वर्तमान में सहभागी है :

9. क्या आवेदक को केवल भुगतान प्रणाली/लियों की सदस्यता चाहिए या भुगतान प्रणाली/यों की सदस्यता के साथ-साथ चालू खाता भी खोलना चाहते हैं :

10. बैंकिंग विभाग में चालू खाते की उपलब्धता की स्थिति : हां/नहीं

क. यदि हां, तो दिए जा सकने वाले चालू खाते का विवरण

ख. यदि नहीं, तो क्या आवेदक को बैंकिंग विभाग में चालू खाता चाहिए

भाग – ख : वित्तीय और जोखिम प्रबंधन के पहलू

2. **वित्तीय संकेतक :**

वित्तीय पैरामीटर	**लेखापरीक्षित नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार**
सीआरएआर	
निवल एनपीए	
विगत दो वर्ष में लाभ/हानि	

नोट: विगत दो वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र लाभ और हानि विवरण संलग्न करें। जिन प्रतिष्ठानों के लिए वित्तीय संकेतक उपलब्ध नहीं है और/या यह अनुमेय नहीं, वे इसका उल्लेख करें।

भाग – ग – बैंकर्स क्लीयरिंग हाउस की सदस्यता हेतु आवेदन के लिए जांचसूची

क्रमांक	अपेक्षित प्रलेख
1.	विगत दो वर्ष की लेखापरीक्षित तुलनपत्र
2.	विगत दो वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

भाग -घ[5]

अनुलग्नक-I: चालू खाते हेतु आवेदन प्रपत्र

बीडीएफ 3

भारतीय रिज़र्व बैंक

लिमिटेड कम्पनियों /एसोसिएशनों/बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों आदि के लिए

खाता खोलने का फार्म

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

----------.

महोदय/महोदया,

..... के नाम से चालू खाता खोलने हेतु

पंजीकृत कार्यालय : _____

पता: _____

आपसे अनुरोध है कि उक्त कम्पनी/एसोसिएशन के नाम से आप अपनी बहियों में एक खाता खोल दीजिए, हम इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख अग्रेषित कर रहे हैं :

i) *निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र।

ii) *व्यवसाय आरंभ करने का मूल प्रमाणपत्र (अपेक्षित नहीं यदि) –

क) यदि कम्पनी का पंजीकरण 1913 से पहले हुआ था और यह शेयर अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं करती है।

ख) कम्पनी गारंटी द्वारा लिमिटेड है और इसके पास शेयर पूंजी नहीं है।

iii) *संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम / उप नियमों की अद्यतन प्रतिलिपि जिसे बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है।*

iv) निदेशक बोर्ड के संकल्प की सत्य प्रतिलिपि (निर्धारित नमूने के अनुसार) जिसमें खाता खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया हो इसके साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षरों के नमूने जो अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हों।

2. हम इस खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित करने की सहमति देते हैं।

3. कृपया हमारे प्रयोग हेतु आर्डर/धारक चेक बुक भी प्रदान करें जिसमें ..... फॉर्म हों।

4. रिज़र्व बैंक के अपने संव्यवहार का रिकार्ड कंप्यूटर सिस्टम या अन्य प्रकार से रखा जाता है, इसे निश्चयात्मक मानते हुए स्वीकार किया जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होगा जब तक कि किसी भी विसंगति का उल्लेख प्रयोक्ता/खाता धारक द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से इस खाते में अभिगम करने की तारीख से या खाता धारक को खाते का विवरण भेजने की तारीख से, जो भी पहले हो, सात दिन के भीतर नहीं किया जाता है।

भवदीय/भवदीया,

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक/प्रबंध निदेशक

---

[5] अपेक्षित है यदि बैंक आरबीआई में चालू खाता खोलना चाहता है।

**मूल प्रलेखों की जरूरत केवल संवीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी एक प्रतिलिपि रखकर मूल प्रति लौटा दी जाएगी।*

खाते का संचालन करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु) 1. हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किए गए --- 2. खाता संख्या _____ खोला गया _____ प्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक		

अनुलग्नक क

निष्प्रभावित परिपत्रों की सूची, क्योंकि इनकी विषयवस्तु को मास्टर निदेश में समाहित है।

क्रमांक	परिपत्र संख्या	परिपत्र की तारीख	विषय
1	डीपीएसएस.केका.ओडी.494/04.04.00 9/2011-2012	21 सितम्बर 2011	भुगतान प्रणालियों के लिए अभिगम कसौटियां
2	डीपीएसएस(केका)ईपीपीडी.सं. 838/04.03.01/2011-12	17 नवम्बर 2011	एनईएफटी – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए अभिगम कसौटियां
3	डीपीएसएस(केका)सीएचडी.सं. 1691/03.01.14/2011-2012	15 मार्च 2012	भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियां – विकेन्द्रित भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले क्लीयरिंग हाउसों की सदस्यता
4	डीपीएसएस.केका.ओडी.1848 /06.07.003/2011-2012	9 अप्रैल 2012	भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियां – केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों के लिए उप सदस्यता